

अल्लाह तआला का आदेश

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ

اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٣﴾

(सूर: जुमर:3)

अनुवाद : निस्संदेह हमने तुमपर सत्य के साथ यह किताब उतारी है।

अतः अल्लाह की इबादत करो और उसी के प्रति सच्चे धर्म पर चलते रहो।

वर्ष- 10

अंक - 41

मूल्य
600 रुपए
वार्षिक

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ



संपादक

शेख मुजाहिद

अहमद

उप संपादक

सय्यद मुहियुद्दीन

फ़रीद

अखबार-ए-अहमदिया

रुहानी खलीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनसिहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दो लिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण आप पर अपना फ़जल नाज़िल करता रहे। आमीन

16 रबीउल् सानी, 1446-47 हिज़्री कमरी, 09 ईखा 1404 हिज़्री शम्सी, 09 अक्टूबर 2025 ई.

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की वाणी

यदि कोई वस्तु गिरी-पड़ी मिले हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास एक व्यक्ति आया और उसने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से गिरी-पड़ी वस्तु के विषय में पूछा। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा: उसकी थैली और उसका बन्ध पहचान लो, फिर एक वर्ष तक उसका प्रचार करते रहो। यदि उसका स्वामी आ जाए तो उत्तम है, अन्यथा जिस प्रकार चाहो उसका उपयोग करो। उसने पूछा: भटकी हुई बकरी के विषय में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का क्या आदेश है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा: वह तुम्हारे लिए है, या तुम्हारे बन्धु के लिए है, अथवा किसी भेड़िये के लिए। उसने पूछा: और भटका हुआ ऊँट? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा: तुझे उससे क्या प्रयोजन? उसके साथ उसका जलपात्र है और उसके पाँव भी दृढ़ हैं। वह जल पी लेता है और वृक्षों से खा लेता है, यहाँ तक कि उसका स्वामी उसे पा लेता है।

(सहीह बुख़ारी, खण्ड 4, पुस्तक अल-मुसाक्रात, मुद्रित 2008, क़ादियान)

★ ★ ★

जो लोग खुदा तआला के प्रिय होते हैं, उन पर खुदा तआला की ओर से अवश्य ही दुःख और परीक्षाएँ आती हैं

हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उपदेश

एक व्यक्ति हज़रत रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी कन्या का आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ विवाह कराने के लिए निवेदन किया। कन्या के गुणों में यह भी कहा कि वह इतनी आयु की हो गई है, परन्तु आज तक उस पर कोई रोग नहीं आया। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग खुदा तआला के प्रिय होते हैं, उन पर खुदा तआला की ओर से अवश्य ही दुःख और परीक्षाएँ आती रहती हैं।

(साथियों में से एक व्यक्ति को विरोधियों की ओर से अत्यधिक कष्ट पहुँचे। उसने अपना हाल निवेदन किया।)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा: “आपने बहुत दुःख सहन किए हैं। यह आपके लिए प्रशंसनीय है। जितनी अधिक परीक्षा हुई है, उतना ही अधिक प्रतिफल भी होगा। निश्चय ही कठिनाई के साथ सहजता भी है”

(सूर: अल् -इनशिराह: 7)

विरोधियों से आचरण

कुछ विरोधी हमारे मिलों के साथ कठोरता करते हैं और उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। उनके विषय में अपने अनुयायियों को कोमलता, क्षमा और दुष्कर्म से बचने की शिक्षा देते हुए आपने सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा:

“विरोधियों के सम्मुख उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए। विशेषतः युवाओं को मैं यह उपदेश देता हूँ। आवश्यक है कि तुम शीघ्रता से मेरे पास आया करो। ज्ञात नहीं कि मेरे पश्चात तुम कितना समय व्यतीत करोगे। समीप रहने में बहुत लाभ होता है। मनुष्य यदि खुदा तआला की ओर उन्मुख हो तो वह सजीव व्याख्या बन जाता है और समीप रहने से मनुष्य अनेक बातें देखता और सीखता है।”

(मल्फूज़ात भाग 2, पृष्ठ 91-92, संस्करण 2018, क़ादियान)

★ ★ ★

वह समय आ गया है जिसमें इस्लाम के पुनः जागरण की नींव रखी गई है उसकी करुणा की धारा हृदयों की शुष्क भूमि को सींचने के लिए अपने तटों से छलक कर प्रवाहित हो गई है।

अब वही लोग सफल होंगे जो इस दिव्य जल से लाभ उठाएँ और अहंकार व हठ से काम न लें।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सूर अल-मुमिनून आयत 19 “और हमने आकाश से निश्चित माता में जल उतारा, फिर उसे धरती में ठहरा दिया, और हम उसे ले जाने में भी समर्थ हैं” की व्याख्या में कहते हैं:

खुदा तआला ने “और निश्चय ही हम उसे ले जाने में समर्थ हैं” में केवल इस्लाम के पतन का समाचार ही नहीं दिया था, अपितु यह भी बताया था कि उस अंधकारपूर्ण युग में, जब अध्यात्म के खोजी अन्धों की भाँति भटक रहे होंगे, खुदा तआला पूरब की भूमि से अपना एक नियुक्त प्रतिनिधि उठाएगा, जिसकी दिव्य ज्योति संशय और संदेह के अंधकारों को विदीर्ण कर देगी। शुष्क धरती को सींचा जाएगा और धर्मपरायणता की हरियाली अंकुरित होगी, जिससे संसार जो एक बंजर वन के समान हो गया था, हरा-भरा क्षेत्र बन जाएगा। लोग जीवन और आनन्द का श्वास लेने लगेंगे और उस वास्तविक शान्ति को पाएँगे जो खुदा तआला के प्रेम और उसके दर्शन के बिना कभी नहीं मिल सकती।

निश्चय ही वह समय आ गया है जिसमें इस्लाम के पुनः जागरण की नींव रख दी गई है। उसकी करुणा की धारा हृदयों की शुष्क भूमि को सींचने के लिए अपने तटों से छलककर प्रवाहित हो गई है। अब वही लोग सफल हो सकते हैं जो इस दिव्य जल से लाभ उठाएँ और अहंकार व हठ से बचें।

फिर वे कहते हैं कि जिस प्रकार ताज़ा उतरे हुए भौतिक जल से खजूर, अंगूर और अन्य फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ताज़ा उतरे हुए आध्यात्मिक जल से भी अनेक उत्तम फल उत्पन्न होते रहेंगे। उन फलों में से कुछ मनुष्य खाता है और कुछ अन्य कार्यों में उपयोग करता है। जैसे उस वृक्ष का फल जो तूर सीने से निकलता है, जिसमें तेल पाया जाता है और जो भोजन करने वालों के लिए व्यंजन का कार्य करता है अर्थात् जैतून।

इन श्लोकों में उस विषय की ओर संकेत किया गया है जो इस्लाम के पुनः उत्थान के संबंध में वर्णित हो रहा है। और कहा गया है कि तुम इस्लाम को निर्जीव उद्यान मत समझो, बल्कि स्मरण रखो कि यह वह उद्यान है जो प्रत्येक युग में नूतन फल प्रदान करता रहेगा। और जब भी इस्लाम में कोई विकृति प्रवेश करेगी, उसे दूर करने के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का कोई सेवक, जो उन्हीं की आध्यात्मिकता का फल होगा, खुदा तआला की ओर से नियुक्त होकर उस दोष को दूर कर देगा।

अतः वर्तमान काल में जब संसार चमत्कारों और दैवी संकेतों का निषेध कर

शेष पृष्ठ 06 पर

ख़ुतब: जुमअ:

इमाम की आवाज़ के मुकाबले में व्यक्तियों की आवाज़ कोई हकीकत नहीं रखती। तुम्हारा फर्ज है कि जब भी तुम्हारे कानों में खुदा तआला के रसूल की आवाज़ आए तुम फौरन उस पर लबैक कहो और उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ो कि इसी में तुम्हारी तरक्की का राज मुसम्मर है बल्कि अगर इंसान उस वक्त नमाज पढ़ रहा हो तो तब भी उसका फर्ज होता है कि वह नमाज तोड़ कर खुदा तआला के रसूल की आवाज़ का जवाब दे।

(हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु)

जंग-ए-हुनैन के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बड़े जोश से फ़रमाया कि मेरी सवारी की बाग छोड़ दो और फिर एड़ी लगाते हुए आगे बढ़े और यह कहते जाते थे कि "अन्नबबीय्यु ला कज़िब, अन्नब्रु अब्दिल्मुत्तलिब" अर्थात मैं मौऊद नबी हूँ जिसकी हिफाजत का दाइमी वादा है, झूठा नहीं हूँ, इसलिए तुम तीन हजार तीरंदाज हो या तीस हजार, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं और ऐ मुशरिको! मेरी इस दिलेरी को देख कर कहीं मुझे खुदा न समझ लेना, मैं एक इंसान हूँ और तुम्हारे सरदार अब्दुलमुत्तलिब का बेटा (अर्थात पोता) हूँ।

राज़वा-ए-हुनैन में वुकू पज़ीर होने वाले वाकिआत की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सह अंगेज़ सीरत-ए-मुबारका का बयान

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यौम-ए-हुनैन कंकर पकड़े और उन्हें कुप्फार के चेहरे की तरफ फेंका। फिर फ़रमाया: "मुहम्मद के रब की कसम!" एक और रिवायत में है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "काबा के रब की कसम! यह लोग शिकस्त खा गए।"

ख़ुतब: जुमअ: सय्यदना अमीरुल मौ'मेनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनसिहिल अज़ीज़, दिनांक 05 सितम्बर 2025 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिरे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ

जंग-ए-हुनैन में जो दुश्मन के तीरंदाजों की वजह से मुसलमान लश्कर में भगदड़ मची थी, उस की तफसील बयान करते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हु ने सूरह नूर की आयत चौंसठ की तफसीर में भी यह वाकिया बयान फ़रमाया है कि किस तरह नबी की इताअत करनी चाहिए। आयत यह है कि:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ - (अन-नूर: 64)

इसका अनुवाद है कि (ऐ मोमिनो!) यह न समझो कि रसूल का तुममें से किसी को बुलाना ऐसा ही है जैसा कि तुममें से कुछ का कुछ को बुलाना। अल्लाह (तआला) उन लोगों को जानता है जो कि तुममें से पहलू बचा कर (मशवरे की मजलिस से) भाग जाते हैं। पस चाहिए कि जो (उस रसूल) के हुक्म की मुखालफत करते हैं, वे इससे डरें कि उनको खुदा (तआला) की तरफ से कोई आफत न पहुंच जाए या उनको दर्दनाक अज़ाब न पहुंच जाए।

आप फरमाते हैं कि: "इमाम की आवाज़ के मुकाबले में व्यक्तियों की आवाज़ कोई हकीकत नहीं रखती। तुम्हारा फर्ज है कि जब भी तुम्हारे कानों में खुदा तआला के रसूल की आवाज़ आए तुम फौरन उस पर लबैक कहो और उसकी तामील के लिए दौड़ पड़ो कि इसी में तुम्हारी तरक्की का राज मुसम्मर है बल्कि अगर इंसान उस वक्त नमाज पढ़ रहा हो तो तब भी उसका फर्ज होता है कि वह नमाज तोड़ कर खुदा तआला के रसूल की आवाज़ का जवाब दे।"

... बहरहाल नबी की आवाज़ पर फौरन लबैक कहना एक जरूरी अन्न है बल्कि ईमान की अलामतों में से एक बड़ी अलामत है... और अल्लाह तआला मोमिनीन को नसीहत करते हुए फरमाता है कि ऐ मोमिनो! अगर कभी खुदा तआला का रसूल तुम्हें बुलाए तो उसके बुलाने को दूसरों के बुलाने जैसा मत समझो बल्कि फौरन उसकी आवाज़ पर लबैक कहा करो। गोया बताया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की दो अलग-अलग हैसियतें हैं, एक अफसर दुनवी होने की और एक नबी होने की। दुनवी रईस होने के लिहाज से भी उसके अहकाम को मानना जरूरी है मगर

रईस दीनी होने के लिहाज से तो उसकी आवाज़ पर लबैक कहना और भी मुकद्दम है।" आप ने यहां जंग-ए-हुनैन का वाकिया बयान किया है, उसकी तफसीर में वज़ाहत करते हुए कि तारीख से पता लगता है कि "जंग हुनैन के मौके पर जब मक्का के काफिर लश्कर-ए-इस्लाम में यह कहते हुए शामिल हो गए कि आज हम अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएंगे और फिर बनू सकीफ के हमले की ताब न ला कर मैदान-ए-जंग से भागे तो एक वक्त ऐसा आया कि रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इर्द-गिर्द सिर्फ बारह सहाबी रह गए। इस्लामी लश्कर जो दस हजार की तादाद में था, उसमें भगदड़ मच गई और कुप्फार का लश्कर जो तीन हजार तीरंदाजों पर मुश्तमिल था, आप के दाएं-बाएं पहाड़ियों पर चढ़ा हुआ आप पर तीर बरसा रहा था, मगर उस वक्त भी आप पीछे नहीं हटना चाहते थे बल्कि आगे जाना चाहते थे। हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहो तआला अन्हु ने घबरा कर आप की सवारी की लगाम पकड़ ली और अर्ज किया कि 'या रसूलुल्लाह! मेरी जान आप पर कुर्बान हो, यह आगे बढ़ने का वक्त नहीं। अभी लश्कर-ए-इस्लाम जमा हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे' मगर

आप ने बड़े जोश से फ़रमाया कि मेरी सवारी की बाग छोड़ दो और फिर एड़ी लगाते हुए आगे बढ़े और यह कहते जाते थे कि "अन्नबबीय्यु ला कज़िब, अन्नब्रु अब्दिल्मुत्तलिब" अर्थात मैं मौऊद नबी हूँ जिसकी हिफाजत का दाइमी वादा है, झूठा नहीं हूँ, इसलिए तुम तीन हजार तीरंदाज हो या तीस हजार, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं और ऐ मुशरिको! मेरी इस दिलेरी को देख कर कहीं मुझे खुदा न समझ लेना, मैं एक इंसान हूँ और तुम्हारे सरदार अब्दुलमुत्तलिब का बेटा (यानी पोता) हूँ।

आप के चचा हज़रत अब्बास की आवाज़ बहुत ऊंची थी। आप ने उनकी तरफ देखा और फ़रमाया: 'अब्बास! आगे आओ और आवाज़ दो और बुलंद आवाज़ से पुकारो कि 'ऐ सूरह-ए-बकरा के सहाबियो! (यानी जिन्होंने सूरह-ए-बकरा याद की हुई है) ऐ हुदैबिया के दिन दरख्त के नीचे बैअत करने वालो! खुदा का रसूल तुम को बुलाता है।' एक सहाबी कहते हैं कि मक्का के ताजा नौ-मुसलमानों की बुजदिली की वजह से जब इस्लामी लश्कर का अगला हिस्सा पीछे की तरफ भागा तो हमारी सवारियां भी दौड़ पड़ीं और जितना हम रोकते थे उतना ही वह पीछे की तरफ भागती थीं, यहां तक कि अब्बास की आवाज़ मैदान में गूंजने लगी कि 'ऐ सूरह-ए-बकरा के सहाबियो!' खास सूरह बकरा का नाम ले कर इसलिए पुकारा कि मदीना में नाजिल होने वाली यह सबसे पहली सूरा थी और इस सूरा में यह भी आयात है कि थोड़े लोग ज्यादा लोगों पर खुदा के हुक्म से गालिब आते हैं और इसमें अहद-ओ-पैमान पूरा करने की तलकीन है। 'ऐ हुदैबिया के दिन दरख्त के नीचे बैअत करने वालो! खुदा का रसूल तुम्हें बुलाता है।' यह आवाज़... कहते हैं

"जब मेरे कान में पड़ी तो मुझे यूं मालूम हुआ कि मैं जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हूँ

और इसराफील का सूर फजा में गूँज रहा है। मैंने अपने ऊंट की लगाम जोर से खींची और उसका सर पीठ से लग गया, लेकिन वह इतना बढ़का हुआ था कि जो ही मैंने लगाम ढीली की, वह फिर पीछे की तरफ दौड़ा। इस पर मैंने और मेरे बहुत से साथियों ने तलवारें निकाल लीं और कई तो ऊंटों पर से कूद गए और कई ने ऊंटों की गर्दन के काट दीं और रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और चंद लम्हों में ही वह दस हजार सहाबा का लश्कर जो बे-इस्त्रियार मक्का की तरफ भागा जा रहा था, आप के गिर्द जमा हो गया और थोड़ी देर में पहाड़ियों पर चढ़ कर उसने दुश्मन का तहस-नहस कर दिया और यह खतरनाक शिकस्त एक अज़ीमुश्शान फतह की सूरत में बदल गई।"

(तफसीर कबीर भाग 8, पृष्ठ 624 से 626, अन-नूर ज़ैर-ए-आयत 64)

(सीरत हलबिया भाग 3, पृष्ठ 155, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरुत)

इसी तरह अपनी एक तकरीर 'उस्वा-ए-हसना' में हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो ने इस वाकिए का यह वर्णन भी किया है कि "फतह मक्का के बाद जब रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम कुछ अरब कबीलों के मुकाबले के लिए गज़वा-ए-हुनैन में तशरीफ ले गए तो चूँकि मक्का में बहुत से लोग नए-नए मुसलमान हुए थे, इसलिए वे भी रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ शामिल हो गए और जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वे भी सिर्फ इज़हार-ए-शान और कौमी जोश की वजह से मुसलमानों के लश्कर के साथ मिल गए और उन्होंने अपनी कसरत और ताकत पर लाज़ ज़नी शुरू कर दी, 'कहना शुरू कर दिया कि हम बहुत कसीर हैं, आज हमें कोई नहीं हरा सकता।' अल्लाह तआला ने उन को इस कब्र की सजा देने के लिए ऐसे सामान पैदा कर दिए कि जब मुसलमानों का लश्कर आगे बढ़ा तो दुश्मन कमीन-गाह में छिप गया और उनके बड़े-बड़े माहिर तीरंदाज कुछ दौड़ें तरफ छिप कर बैठ गए और कुछ बाईं तरफ छिप कर बैठ गए। जब लश्कर उस मकाम से गुज़रा जिस के दाएं-बाएं हजारों तीरंदाज छिपे बैठे थे, तो उन्होंने एक-बस्त मुसलमान लश्कर पर तीरों की बौछार कर दी। यह देख कर वह 'हदीसुलअहद' अर्थात् नौ-उम्र और नए मुसलमान, जिनमें अभी कमजोरी पाई जाती थी, और मक्का के वह काफिर जो सिर्फ कौमी जोश की वजह से मुसलमानों के साथ शामिल हो गए थे, बे-तहाशा मैदान-ए-जंग से भाग निकले। ऐसी सूरत में जब अगले लोग भागें तो लाज़मन पीछे आने वालों के घोड़े भी बढ़क जाते हैं और वह भी भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस जंग में भी ऐसा ही हुआ। जब वह हदीसुलअहद मुसलमान और कुफ़ार तीरों की बौछार बर्दाशत न करते हुए भागे तो सहाबा के घोड़ों और ऊंटों ने भी भागना शुरू कर दिया और तमाम इस्लामी लश्कर तितर-बितर हो गया। यह मुसीबत यहां तक बढ़ी कि रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के गिर्द सिर्फ बारह आदमी रह गए। बाकी सब मैदान से भाग खड़े हुए। यह देख कर हज़रत अब्बास ने रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के घोड़े की बाग पकड़ ली और अर्ज किया: 'अब ठहरने का वक्त नहीं। घोड़े की बाग फेरें और वापस चलें ता कि इस्लामी फौज को दोबारा जमा कर के हमला किया जाए' मगर रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: 'खुदा के नबी मैदान-ए-जंग से पीठ नहीं मोड़ा करते।' यह कह कर आप ने घोड़े की बाग उठाई और उसे एड़ लगा कर और भी आगे बढ़ा दिया और फ़रमाया:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

"अन्नबबीय्यु ला कज़िब" "अन्नबु अब्दिलमुत्तलिब"

'मैं खुदा का नबी हूँ, झूठा नहीं हूँ और मैं जो आज इन तीरंदाजों से नहीं डरा और चार हजार तीरंदाजों के नरगाह में घिरे होने के बावजूद आगे ही बढ़ता चला जा रहा हूँ तो इस नज़ारे को देख कर तुम कहीं यह न समझ लेना कि मैं खुदा हूँ या मुझ में भी खुदाई सिफात पाई जाती है। याद रखो! मैं खुदा नहीं, मैं तो वही अब्दुलमुत्तलिब का बेटा हूँ मगर यह लोग 'खुदा-नुमा' वजूद होते हैं' अर्थात् जो नबी और रसूल होते हैं, अल्लाह के औलिया, यह खुदा-नुमा वजूद होते हैं। खुदा को दिखाने वाले होते हैं।' जब यह हालत पैदा हुई और दुश्मन खुश हुआ कि उसने मुसलमानों को मार लिया, तो रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत अब्बास को मुखातिब कर के फ़रमाया: 'अब्बास! आवाज़ दो कि ऐ अंसार! खुदा का रसूल तुम को बुलाता है...' जब हज़रत अब्बास ने बुलंद आवाज़ से रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह फक्रा दुहराया कि 'ऐ अंसार! खुदा का रसूल तुम को बुलाता है' तो उस वक्त एक अंसारी का बयान है कि हालत यह थी कि हमारे घोड़े और ऊंट हमारे कब्जे से निकले जा रहे थे और यूँ मालूम होता था कि मक्का और मदीना के वरे यह नहीं रुकेंगे। वह बूजह-ए-मक्का के हजारों लोगों के भागने के इतने डर गए थे कि किसी तरह वापस

लौटते ही न थे। हम अपनी सवारियों की बागें खींचते और उस कदर जोर लगाते कि उनका मुँह उनकी दम को आ लगता, मगर बजाए वापस लौटने के वह पीछे की तरफ ही भागतीं। हमारी यही हालत थी कि हमारे कानों में हज़रत अब्बास की यह गूँजने वाली आवाज़ आई कि 'ऐ अंसार! खुदा का रसूल तुम को बुलाता है।' वह कहते हैं कि इस आवाज़ के सुनते ही हमारी यह हालत हो गई कि हमें यह मालूम न होता था कि हमें कोई आदमी पुकार रहा है, बल्कि हमें यह मालूम होता था कि कयामत का दिन है और मुर्दा रूहों को जिंदा करने के लिए रसूल-ए-इसराफील फूँका जा रहा है। उस वक्त हमें दुनिया व माफिहा का कोई होश न रहा और सिर्फ एक ही आवाज़ हमारे कानों में गूँजने लगी और वह अब्बास की आवाज़ थी। उस वक्त हमारी तमाम कमजोरी जाती रही और या तो हमारे अंदर यह एहसास पाया जाता था कि हम अपने घोड़ों और ऊंटों को नहीं रोक सकते, या फिर हमने आखिरी दफा फिर जोर लगाया और अपने घोड़ों और ऊंटों को मोड़ने की पूरी कोशिश की। इसलिए जो मुड़ गए, सो मुड़ गए और जो न मुड़े, हमने तलवारें निकाल कर उनकी गर्दन के काट दीं और पैदल दौड़ते हुए रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास पहुंच गए। यह वह लोग थे जिन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इसईमान से फायदा उठाया। इसलिए जिस तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की यह शान थी कि ख्वाह कैसा ही खतरा हो, खुदा आप की आंखों से ओझल नहीं होता था, यही शान अपने दर्जे के मुताबिक सहाबा में पैदा हो गई थी (आप की तरबियत के ज़ैर-ए-अस्सर)।"

(उस्वा-ए-हसना, अनवारुल उलूम भाग 17, पृष्ठ 93 से 95)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ कौन-कौन साबित-कदम रहा एक रिवायत में आता है, और यह हज़रत इब्ने मसऊद से रिवायत है कि मैं हुनैन के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ था। मुसलमान भाग गए और आप के पास मुहाज़िरीन व अंसार में से सिर्फ अस्सी लोग रह गए। हम साबित-कदम रहे और पीठ फेर कर नहीं भागे और यही वह लोग थे जिन पर अल्लाह तआला ने सकीना नाजिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने खचर पर मौजूद थे, एक कदम भी पीछे न हटे थे। आप की खचर झुकी तो आप जीन से नीचे झुके। मैंने कहा: आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ऊपर हो जाएं, अल्लाह आप को बुलंद करे। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे मिट्टी की एक मुट्टी दो। तो मैंने आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को मुट्टी में मिट्टी भर के दे दी, तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मुझ से वह मिट्टी ले के उन के (दुश्मन के) चेहरों की तरफ फेंकी, तो उनकी आंखें मिट्टी से भर गईं। फिर फ़रमाया: "मुहाज़िरीन व अंसार कहां हैं?" मैंने अर्ज किया: वह यहां मौजूद हैं। तो फ़रमाया: उन को बुलाओ। मैंने उन को बुलाया, तो वह अपनी तलवारों को अपने दाएं हाथों में लेते हुए आए और मुशरिकीन पीठ फेर कर भाग गए।

एक रिवायत में है कि जब लोग भाग गए, अर्थात् मुसलमानों के लश्कर में भगदड़ मच गई, तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पास तकरीबन एक सौ अफराद रह गए। उस वक्त आप ने यह दुआ मांगी: "अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व इलैकल मुश्तका व अनतल मुस्तआन" (ऐ अल्लाह! तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, हम तुझ ही से शिकवा करते हैं और मदद के लिए तुझी को पुकारते हैं)। तो जिब्रील ने अर्ज की: आप पर वही कलिमात इलका हुए हैं जो हज़रत मूसा को समंदर के फटने के दिन सिखाए गए थे।

(उद्धारित सबुलुल् हुदा वल् रिशाद भाग 5, पृष्ठ 325 से 327, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरुत)

हज़रत हारिसा बिन नुमान से रिवायत है कि जब लोग उल्टे कदम वापस लौटे तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप के साथ सिर्फ सौ अफराद रह गए हैं।

हज़रत अनस से रिवायत है कि उसी रोज़ अर्थात् हुनैन के मौके पर आप के साथ अबूबक्र, उमर, उस्मान और अली रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। हर एक ने दस-दस से ज़्यादा ज़बे लगाईं। हज़रत इब्ने मसऊद भी उनमें शामिल थे और अंसार में से हज़रत अबू दुजाना, हारिसा बिन नुमान, सअद बिन उबादा, अबू बशीर, उसैद बिन हुज़ैर और अहल-ए-मक्का में से शैबा बिन उस्मान साबित-कदम रहे।

ख्वातीन में से हज़रत उम्मे सुलैम बिनत मिल्हान, उम्मे उमारा नसीबा बिनत कअब, उम्मे हारिस, उम्मे सुलैत बिनत उबैदिया भी जंग के मैदान में थीं।

(उद्धारित सबुलुल् हुदा वल् रिशाद भाग 5, पृष्ठ 329-330, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरुत)

सहाबियात की साबित-कदमी के बारे में आता है। अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत उम्मे सुलैम बिनत

मिल्लान को देखा, वह अपने शौहर अबूतलहा के हमराह थीं और वह हामिला थीं। उन्हें डर था कि ऊंट उन्हें नीचे न गिरा दे। इसलिए उन्होंने अपना हाथ नकेल और लगाम के अंदर से डाल कर ऊंट का सर अपने करीब कर रखा था। हज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "उम्मे सुलैम हैं?" उन्होंने कहा: "जी, या रसूलुल्लाह! मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हों।" उन खातून के पास एक खंजर था। तो हज़रत अबूतलहा ने कहा: "या रसूलुल्लाह! यह उम्मे सुलैम है, इस के पास खंजर है।" रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उन्हें फ़रमाया: "यह खंजर किस लिए है?" तो उन्होंने (उम्मे सुलैम ने) जवाब दिया कि मैंने यह इसलिए रख लिया है कि अगर मुशरिकीन में से कोई मेरे करीब आया तो मैं उसका पेट फाड़ दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम इस बात को सुन के मुस्कराए। हज़रत उम्मे सुलैम, जो इस नाजुक वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ थीं, उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को अकेला छोड़ कर लोगों के भागने का इतना दुख और रंज और गुस्सा था कि वह आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की मुहब्बत से मगलूब हो कर आप से अर्ज करने लगीं कि 'या रसूलुल्लाह! हमारे बाद जो तुलक़ा (यानी आजाद किए गए लोग) मिले... तुलक़ा से मुराद मक्का के वह बाशिंदे हैं जिन को हज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने "लातसरीबा अलैकुमुल यौम, इज़हबू अनतुमुत्तुलकाऊ" कह कर इहसान फ़रमाया था और उनमें से दो हजार जंग-ए-हुनैन में शामिल हुए और दुश्मन के तीरों के सामने भाग पड़े और पुराने सहाबा को भी धकेल कर पीछे हटने का बाइस बने, उस में उनका वर्णन है। बहरहाल आप ने कहा कि जिन्होंने आप के साथ होते हुए शिकस्त खाई है, उन को (उन तुलक़ा को) कत्ल कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "ऐ उम्मे सुलैम! यकीनन अल्लाह तआला दुश्मन के मुकाबले में काफी हुआ और उसने इहसान फ़रमाया।"

एक और बहादुर सहाबिया हज़रत उम्मे उमारा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि ग़ज़वा-ए-हुनैन के दिन जब लोग भाग खड़े हुए तो हम चार औरतें थीं। मेरे पास तेज काट वाली तलवार थी और उम्मे सुलैम के पास खंजर था और उन्होंने वह खंजर अपनी कमर के साथ बांध रखा था और वह उम्मीद से थीं। उनके अलावा हज़रत उम्मे सुलैत और उम्मे हारिस भी मौजूद थीं। एक रिवायत में है कि हज़रत उम्मे उमारा ने बुलंद आवाज़ दी और कहने लगीं कि 'ऐ अंसार! तुम्हें फ़रार होने से क्या तअल्लुक?' वह कहती हैं कि मैंने हवाज़िन के एक शख्स को देखा जो झंडा उठाए गंधमी ऊंट पर सवार था। वह मुसलमानों के पीछे भागा जा रहा था। मैं उसके सामने आई और उसके ऊंट की कुंचियों पर वार किया, तो वह सवार अपनी पीठ के बल नीचे गिरा, तो मैंने उस पर हमला किया और उस पर तलवार से वार करती रही, यहां तक कि उसे मौत की नींद सुला दिया। फिर मैंने उसकी तलवार ले ली और रसूल-ए-अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपनी तलवार सोंते हुए मैदान-ए-जंग में खड़े थे। मैं वहां पहुंची और आप पुकार रहे थे कि 'ऐ अस्थाब-ए-सूरह बकरा!' इसलिए अंसार हमला करते हुए वापस पलटे और हवाज़िन के लोग सहाबा के सामने इतनी देर ही ठहरे जितनी देर में ऊंटनी को दुहा जाता है, अर्थात थोड़ी देर वह मुकाबला कर सके। फिर वह दुश्मन शिकस्त-खोर्दा हो कर भाग निकले। वह कहती हैं कि मैंने दुश्मन की इस तरह की ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त कभी नहीं देखी। वह हर सिम्त मुंह उठाए भागे जा रहे थे। मेरे बेटे हबीब और अब्दुल्लाह मेरे पास वापस आए और उनके हाथों में कैदी थे।

(सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद वस्सयर, बाब ग़ज़वतुन निसा मअर रिजाल, हदीस 3360, मुतर्जिम नूर फाउंडेशन भाग 9, पृष्ठ 241-242)(उद्धारित सबुल हुदा वल् रिशाद फी सीरते खैरिल इबाद भाग 5, पृष्ठ 330-331, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत)(सीरतुल हलबिया भाग 3, पृष्ठ 139, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत)(किताबुल मगाजी (मुतर्जिम) भाग दोम, पृष्ठ 316, मक्तबा रहमानिया)

हज़रत अबू बशीर माजिनी से रिवायत है कि हुनैन के दिन हमने सुबह की नमाज़ पढ़ी। फिर हम उस जगह पहुंचे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हमें खड़ा किया था। सूरज तुलू होने के करीब था। हमें इल्म न था कि अचानक हम पर हमला हुआ। हमारे लश्कर का अगला हिस्सा हमारी तरफ वापस पलटा और वह शिकस्त खा चुके थे। हमारी सफें खल्ल-मल्ल हो गईं और हम लश्कर के अगले हिस्से समेत शिकस्त खा गए। मैं पलट कर आगे बढ़ा। मैं नौजवान लड़का था। मुझे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम लश्कर के अगले हिस्से में हैं, तो मैं कहने लगा कि 'ऐ अंसार! मेरे मां-बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर कुर्बान हों, तुम कहां फिरे जा रहे हो?' उन्होंने आवाज़ दी। मैं शिकस्त-खोर्दा लोगों को पीछे मोड़ रहा था। मेरी कोशिश सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को सलामत देखने की थी, यहां तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तक पहुंच गया और आप फरमा रहे थे: 'ऐ अंसार! ऐ अंसार!' मैं आप की सवारी के करीब

गया और मैंने पीछे देखा, अंसार फौरन वापस लौट रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपनी सवारी पर दुश्मन के सामने खड़े थे और अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सामने क़ताल करने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम उनके साथ-साथ थे। तो अंसारी दुश्मन को दूर कर रहे थे, यहां तक कि हमने उन को एक फर्सख (यानी तीन मील) तक धकेल दिया। वह घाटियों में फैल गए, यहां तक कि वह हमारे सामने शिकस्त खा गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपनी मंजिल और अपने खैमे की तरफ लौट गए और कैदी आप के इर्द-गिर्द बंधे हुए थे। एक गिरोह आप के खैमे के गिर्द था और आप के हमराह आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की दोनों अज़वाज हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत जैनब थीं। एक रिवायत में हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना का वर्णन मिलता है। उनके इर्द-गिर्द उन लोगों की जमात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर पहरा दे रहे थे और वह अब्बाद बिन बिश्र, अबू नाइला और मुहम्मद बिन मसलमा थे।

इन्ने उकबा बयान करते हैं कि एक कुरैशी आदमी सफवान बिन उमैया के पास से गुज़रा (यह अभी तक मुशरिक था और हुनैन की जंग का नज़ारा करने के लिए साथ आया था) और कहा: "तुझे बशारत हो, मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और उसके अस्थाब को शिकस्त हुई।" पहले जो हमला हुआ था, उस की वजह से उसने यह शिकस्त की खबर दी और फिर वह मुशरिक कहने लगा कि 'अल्लाह की कसम! वह अब कभी भी पहली हालत में नहीं आ सकते' अर्थात अब उन को फतह नसीब नहीं हो सकती। तो सफवान ने कहा: "तू मुझे बदवों के गल्बा की खुशखबरी देता है। अल्लाह की कसम! किसी कुरैशी का सरदार बनना मुझे बदवों के सरदार बनने से ज़्यादा महबूब है।" सफवान इस बात से गुस्से में आ गया। उस दुश्मन की बात जब सुनी तो उन्होंने अपने एक गुलाम को खबर लाने के लिए भेजा और कहा कि 'गौर से सुनो, यह किस के शिआर की आवाज़ आ रही है?' क्योंकि उस वक्त नअरों की आवाज़ भी शुरू हो गई थी। वह वापस उसके पास आया और कहा कि मैंने उन को यह कहते हुए सुना है कि 'ऐ बनू अब्दुर्रहमान! ऐ बनू अब्दिल्लाह! ऐ बनू अब्दिल्लाह!' उसने कहा: "मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम गालिब आ गए हैं और यह उनका जंग में शिआर है।" इस से सफवान को तसल्ली हुई और वह कहने लगा कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को फतह हुई है।

(उद्धारित सबुल हुदा वल् रिशाद भाग 5, पृष्ठ 318 से 320, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत)(दाइरा मआरिफ सीरते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम भाग 9, पृष्ठ 260, बज़म-ए-इकबाल रोड, लाहौर)

इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के कुफफार पर कंकरियां फेंकने और दुआ करने के बारे में भी यूं वर्णन मिलता है, जिस तरह पहले वर्णन हुआ आप ने फ़रमाया था 'मिट्टी दो, मैं फेंकूंगा'। इस की मज़ीद तफसील में एक जगह यूं लिखा है कि सहाबा के वापस पलटने पर जब जंग अपने जोरों पर थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने नज़र उठा कर जंग का नज़ारा किया और आप अपनी खचर पर सवार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "जंग खूब जोरों पर है।" रावी कहते हैं कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कंकर पकड़े और उन्हें कुफफार के चेहरे की तरफ फेंका। फिर फ़रमाया: "मुहम्मद के रब की कसम!" एक और रिवायत में है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "काबा के रब की कसम! यह लोग शिकस्त खा गए।"

हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं देखने लगा तो लड़ाई वैसे ही हो रही थी जैसे मैं देखता था। वह कहते हैं: 'अल्लाह की कसम! जो ही आप ने कंकरियां फेंकीं, तो मैंने देखा कि उन की तेज़ी मांद पड़ने लगी' अर्थात दुश्मन का हमला जो था, मांद पड़ने लगा और उन का मामला उलटने (यानी मामला दुश्मन की शिकस्त की तरफ) फिर गया।

CHANDIGARH DIAGNOSTIC LABORATORY

थाने वाला चौक, ठीकरीवाल रोड, नज़दीक केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक क्रादियान

सभी प्रकार के शारीरिक टेस्ट (खून, मल, बलगम इत्यादि) कंप्यूटराइज्ड तरीके से उपलब्ध हैं।

हमारे सहभागी :- SRL (SUPER RANBAXY LABORATORIES), THYROCARE MUMBAI.



चौधरी खिज़र बाजवा दरवेश क्रादियान, लुकमान अहमद बाजवा और जानकारी के लिए संपर्क करें :- इमरान अहमद बाजवा, रिज़वान अहमद बाजवा फ़ोन नंबर :- +91-9646561639, +91-8557901648

(सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद वस्सयर, बाब फी गज़वते हुनैन, हदीस 1775)

इस की मज़ीद तफ्सील इस तरह मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम दोनों रकाबू में पांव रख के खड़े हो गए और आप अपने खचर पर सवार थे। आप ने अपने हाथ उठाए और दुआ करते हुए कहने लगे: "अल्लाहुम्मा इन्नी उनशिदुका मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा ला यंबगी लहम अन यज़्हरू अलैना" (ऐ अल्लाह! मैं तुझे उस का वास्ता देता हूँ जो तू ने मुझ से वादा किया था। ऐ अल्लाह! मुनासिब नहीं है उन के लिए कि वह हम पर गालिब आएँ और हम मगलूब हो जाएँ।)

यज़ीद बिन आमिर सुवाई से रिवायत है कि वह हुनैन में मुशरिकीन के साथ मौजूद थे और बाद में इस्लाम लाए थे। वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हुनैन के मौके पर ज़मीन से एक मिट्टी की मुट्टी ली। फिर मुशरिकीन की तरफ मुतवज्जह हुए और उन के चेहरों की तरफ फेंक दी और फ़रमाया कि "तुम लौट जाओ।" चेहरे सियाह हो गए। जो शख्स भी अपने भाई से मिलता था, वह अपनी आंखों में चुभन की शिकायत करने लगता और अपनी आंखों को मलता था, अर्थात् दुश्मन की आंखों में जलन शुरू हो गई। उस वक्त आप 'दुलदुल' नामी खचर पर सवार थे।

(उद्धारित सबलुलु हुदा वल् रिशाद भाग 5, पृष्ठ 322, 324, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत)(अस्सीरतुल हलबिया भाग 3, पृष्ठ 154, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत)

शैबा बिन उस्मान एक कुरैशी मोअज़्ज़ शख्स था। उस का बाप उस्मान बिन तलहा जंग-ए-उहद में कत्ल हुआ था। यह मक्का से हुनैन के लश्कर में शामिल हुआ। बाज़ के नज़दीक यह फतह मक्का के वक्त मुसलमान हो गया था। वह खुद बयान करता है कि मैं उस नीयत से शामिल हुआ था कि जब भी (इस का मतलब है मुसलमान नहीं हुआ था) मुझे मौका मिला तो मैं अपने बाप के कत्ल के बदले में मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को कत्ल कर के नऊज़बिल्लाह (हम इससे खुदा की शरण चाहते हैं) अपने दिल को ठंडा करूंगा। इस्लाम से मुखालफत का यह आलम था कि यह कहा करता था कि 'सारा अरब-ओ-अजम भी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का कलमा पढ़ ले, मैं तब भी उन की पैरवी नहीं करूंगा।' तो शैबा ने जब देखा कि मुसलमान मैदान से भाग खड़े हुए हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम सिर्फ चंद एक लोगों के दरमियान रह गए हैं, तो वह बयान करते हैं: 'मैंने सोचा कि मेरे लिए अब बेहतरीन मौका है कि नऊज़बिल्लाह (हम इससे खुदा की शरण चाहते हैं) मैं आप को कत्ल कर सकता हूँ।' वह कहता है कि मैं आप के दाईं जानिब से आप पर हमला करने के लिए आगे हुआ, तो मैंने वहां आप के चचा अब्बास को खड़े देखा, तो मैंने ख्याल किया कि अब्बास की मौजूदगी में मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर हमला करना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं वापस पलटा और फिर मैं आप के बाईं जानिब हुआ कि इधर से हमला करता हूँ, तो वहां देखा कि अबूसुफियान बिन हारिस खड़े हैं, तो वहां से वापस हो गया और फिर आप के पीछे की जानिब से आप पर हमला करने का इरादा किया, तो जब हमला करने की नीयत से आगे बढ़ा तो अपनी आंखों पर हाथ रख के उल्टे पांव तेजी से वापस पलट गया। बाद में वह बयान करते थे कि ऐन उस वक्त मुझे आग के शोले उठते हुए दिखाई दिए और यूँ लगा वह शोले मुझे भस्म कर के रख देंगे। उसी दरमियान आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने आवाज़ दी कि 'शैबा! मेरे करीब आओ।' आप को पता लग गया कि यह पीछे खड़े थे। वह कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के करीब हुआ।

आप ने तबस्सुम फ़रमाया और मेरे सीने पर अपना दस्त-ए-मुबारक फेरा और दुआ की: "अल्लाहुम्माज़्ज़हब अनहुशैतान" (ऐ अल्लाह! शैतान को इस से दूर कर दे)। शैबा कहते हैं कि 'खुदा की कसम! उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मुझे मेरे कान, मेरी आंख और मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हो गए और मेरा सीना साफ हो गया।'

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने शैबा से फ़रमाया: "ऐ शैबा! काफ़िरो से जंग करो।" वह बयान करते हैं कि 'अब मैं मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के दिफाअ में दुश्मनों की तरफ तलवार ले कर आगे बढ़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की मुहब्बत में यूँ जंग करने लगा कि उस वक्त अगर मेरा बाप भी मेरे सामने आता तो उस को भी कत्ल कर देता।'

(दाइरा मआरिफ सीरते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम

भाग 9, पृष्ठ 256 से 258, बज़्म-ए-इकबाल रोड, लाहौर)(गज़वातुन नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अज़ अल्लामा अली बुरहान हलबी, मुतर्जिम पृष्ठ

639, मक्तबा दारुल इशाअत कराची)(अल्लौलौल मकनून सीरत

इसाइक्लोपीडिया भाग 9, पृष्ठ 272, मक्तबा दारुस्सलाम)

इस वाकिए को हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो ने भी अपने रंग में बयान किया है कि "रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के मुतअल्लिक एक वाकिया आता है कि एक शख्स ने बाज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया और वह जंग-ए-हुनैन में शरीक हुआ, लेकिन उस की नीयत यह थी कि जिस वक्त लश्कर आपस में मिलेंगे तो मैं मौका पा कर रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को शहीद कर दूंगा। जब लड़ाई तेज़ हुई तो उस शख्स ने तलवार खींच ली। रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम उस वक्त अकेले थे, सिर्फ हज़रत अब्बास साथ थे। उस शख्स ने मौका-ए-गनीमत जाना और आगे बढ़ कर वार करना चाहा। खुदा तआला ने रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को इलहामन बता दिया कि इस शख्स के अंदर 'कपट' है' अर्थात् दुश्मनी है। 'वह शख्स खुद वर्णन करता है कि मैं आप की तरफ बढ़ता गया और मैं ख्याल करता था कि अब मेरी तलवार आप की गर्दन उड़ा देगी, लेकिन जब मैं आप के करीब पहुंचा तो आप ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और सीने पर रख कर फ़रमाया: 'ऐ खुदा! तू इसे शैतानी ख्यालात से नजात दे और इस के बग़ाज़ को दूर कर दे।' वह शख्स कहता है: 'मुझे यक-बस्त यूँ महसूस हुआ कि आप से ज़्यादा प्यारी चीज़ और कोई नहीं।' इस के बाद रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: 'आगे बढ़ो और लड़ो।' मैंने तलवार सोंत ली और खुदा की कसम! अगर उस वक्त मेरा बाप भी जिंदा होता और वह मेरे सामने आ जाता तो मैं अपनी तलवार उस के सीने में भोंक देता' और 'उस से भी दुरीग न करता। यह मुहब्बत है जिस ने उस की दुश्मनी को दूर कर दिया।'" (भीरा की सरज़मीन में एक निहायत ईमान-अफरोज़ तकरीर, अनवारुल उलूम भाग 22, पृष्ठ 114) अर्थात् आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जो मुहब्बत थी, उस ने उस की दुश्मनी खत्म कर दी।

जंग खत्म हो जाने के बाद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने खैमे में तशरीफ-फर्मा थे कि शैबा बिन उस्मान नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जियारत व मुलाकात के लिए हाज़िर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उन्हें फ़रमाया: "ऐ शैबा! जो कुछ तुम उस वक्त सोच रहे थे, उस से वह बेहतर है जो अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है।" और फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने शैबा को वह तमाम बातें बताईं जो शैबा उस वक्त मैदान-ए-जंग में अपने दिल में छुपाए हुए थे। शैबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की खिदमत में जो कुछ माजी में हुआ, उस की बख्शिश की दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उस को दुआ देते हुए फ़रमाया:

"ग़फ़रल्लाहु लक" (अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फ़रमाए)।

(दाइरा मआरिफ सीरते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम भाग 9, पृष्ठ 258, बज़्म-ए-इकबाल रोड, लाहौर)

इसी तरह नुज़ैर बिन हारिस की बद-नीयती और उन के नेक अनजाम का वर्णन भी मिलता है कि मक्का से जो लोग बद-नीयती और बद-इरादों से हुनैन के लश्कर में शामिल हुए थे, उन में से एक नुज़ैर बिन हारिस भी था। यह कुरैश के सरदारों में से एक शख्स था और उस का भाई जंग-ए-बदर में मारा गया था। यह खुद बयान करते हैं कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ उस नीयत से हुनैन की तरफ निकला था कि मौका मिलते ही मुशरिकीन की तरफ से हमला करने वालों के साथ शामिल हो जाऊंगा और जब मुसलमान इब्दिदा में मुनतशिर हुए तो मैं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को कत्ल करने के लिए उन की तरफ गया, लेकिन जो ही मैंने आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ बढ़ने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इर्द-गिर्द सफेद चेहरों वाले कुछ लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि 'यहां से दूर हो जाओ।' उन की आवाज़ में ऐसी दहशत थी कि मैं डर गया और मैं कांपने लग गया और थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मुसलमान वापस जमा होने लगे और दुश्मनों पर हमला करने लगे। उस दरमियान मैं वहां से वापस हो गया और दरख्तों में छिप गया और कई दिन छिपा रहा, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था, उस का रुअब्ब मुझ से दूर नहीं हो रहा था, यहां तक कि मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ताइफ की तरफ चले गए और फिर वहां से आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम जिअराना चले गए। तो जंग खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि अब इस्लाम का गल्बा हो चुका है और सब ने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं भी हज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाऊं। इसलिए मैं छिपता-छिपाता जिअराना चला गया और मुसलमानों में शामिल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मुझे देखा तो पहचान लिया और फ़रमाने लगे: 'नुज़ैर! तुम हो?' मैंने अर्ज किया: 'जी, हज़ूर, हाज़िर हूँ।' आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: 'यह तेरे लिए उस से बेहतर है जो तुम ने हुनैन के मौके पर इरादा किया था और उस में अल्लाह तेरे और उस के दरमियान हाइल हो गया था' अर्थात् तेरे इरादे के और तेरे

दरमियान हायल हो गया था। नुज़ैर बयान करते हैं कि मैं यह बात सुन कर तेजी से हज़ूर की तरफ बढ़ा और अर्ज किया कि 'या रसूलुल्लाह! अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो वह मुझे कुछ फायदा देता' और कलमा-ए-शहादत पढ़ कर इस्लाम कबूल कर लिया। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उन के लिए दुआ करते हुए फ़रमाया: "अल्लाहुम्म जिद्हु सबातन" (ऐ अल्लाह! इसे साबित-कदमी में बढ़ा दे)। नुज़ैर ने कहा: 'अल्लाह की कसम! आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की इस दुआ के तुफैल मेरा दिल साबित-कदमी के एतबार से चटान की तरह हो गया है।' इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "सब तारीफ अल्लाह के लिए जिस ने इसे हिदायत फरमाई।"

(उद्धारित अल-बिदाया वन्निहाया भाग 7, पृष्ठ 112-113, दार हिज़्र बैरूत)(उद्धारित सब्बुल् हुदा वल् रिशाद भाग 5, पृष्ठ 321-322, दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत)

ग़ज़वा-ए-हुनैन के बाद माल-ए-गनीमत की तक्सीम करते हुए आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कुछ नौ-मुसलमान सरदारान-ए-कुरैश को तालीफ-ए-कुलूब के लिए सौ-सौ ऊंट अता फ़रमाए। उन में से एक यह नुज़ैर बिन हारिस भी थे। उन्होंने ऐसी खुददारी का मुज़ाहिरा किया जो दर-अस्ल आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की उन को सबात-ए-ईमानी अता किए जाने की दुआ का असर था कि एक शख्स उन को यह खबर सुनाने के लिए आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने आप को सौ ऊंट देने का इलान फ़रमाया है, लिहाजा वह ऊंट ले लें। इस पर नुज़ैर ने उस को कहा कि 'रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तो तालीफ-ए-कुलूब के लिए यह दे रहे हैं, इस लिए मैं यह ऊंट नहीं लूंगा' अर्थात मैं तो अल्लाह के फज़ल से इस्लाम पर साबित-कदम हूँ, मुझे तालीफ-ए-कुलूब के लिए इस तरह का माल लेने की जरूरत नहीं है। फिर खुद ही बाद में कहने लगा कि 'मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से खुद तो यह माल नहीं मांगा और न ही सवाल किया है और यह तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तरफ से अतिया और तोहफा है, इस लिए इस से इनकार नहीं करना चाहिए।' इस पर उन्होंने यह खबर लाने वाले को उन ऊंटों में से दस ऊंट तोहफे के तौर पर दे दिए और बाकी खुद रख लिए।

(उद्धारित उसदुल गाबा भाग 5, पृष्ठ 307, दारुल कुतुबिल इल्मिया)

बाद में अक्सर इस बात का इज़हार किया करते थे कि 'अल्लाह का शुक्र है कि हम उस शिर्क पर नहीं मरे जिस पर हमारे आबा-ओ-अजदाद थे।' उन का इस्लाम बहुत अच्छा रहा। यह हिज़रत कर के मदीना चले गए और फिर वहां से जिहाद की गर्ज से शाम की तरफ चले गए और पंद्रह हिजरी में जंग-ए-यरमूक में शहादत पाई। बाकी इनशा अल्लाह तआला आइंदा।

★ ★ ★

नज़ारत नश्र-व-इशाअत की ओर से प्रकाशित होने वाली

पुस्तक का परिचय ख़िलाफ़त का महत्त्व तथा इसके लाभ

यह पुस्तक 2008 ई. में ख़िलाफ़त के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखी गई थी, इस पुस्तक की यह विशेषता है कि लेखक ने इस में ख़िलाफ़त से जुड़े हर पहलू को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद जो ख़िलाफ़त चली (अर्थात ख़िलाफ़त ए राशिदा) के दौर का भी संक्षेप में वर्णन किया है फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आप के बाद जो ख़िलाफ़त ए अहमदिया का निज़ाम जारी हुआ उसका बहुत विस्तार से और सुंदर शैली में वर्णन किया है। सभी ख़लीफ़ाओं की जीवनी और उनके दौर में होने वाली जमाअत की उन्नति का वर्णन किया गया है। हर ख़लीफ़ा के दौर में जो जमाअती उन्नति हुई, घटनाएं घटीं, मस्जिदें बनीं, जो स्कीम लागू हुईं, कबूलियत ए दुआ के लिए वृतांत इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ख़िलाफ़त के बारे में इतने विस्तार से लिखी यह पहली पुस्तक है जो पाठकों को बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

★ ★ ★

पृष्ठ 1 का शेष

रहा था, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद और महदी माहूद अलैहिस्सलाम ने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा:

“यदि दैवी चमत्कार लुप्त प्रतीत होते हों तो आओ और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवकों से उन चमत्कारों का अनुभव कर लो।”

रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी खुदा तआला के इस उपकार का उल्लेख करते हुए कहा: “निश्चय ही खुदा तआला इस समुदाय में प्रत्येक शताब्दी के आरम्भ में ऐसे सुधारक उत्पन्न करता रहेगा जो उन दोषों को दूर कर देंगे जो काल की गति से इस्लाम में आ जाएंगे, और इस प्रकार इस्लाम का पवित्र और निर्दोष स्वरूप बार-बार लोगों के सम्मुख आता रहेगा।”

(अबू दाऊद, खण्ड 2, पृष्ठ 241)

(तफ़सीर-ए-कबीर, खण्ड 6, पृष्ठ 151, मुद्रित क़ादियान 2010)

★ ★ ★

अख़बार बदर खुद भी पढ़ें और अपने मित्रों व परिचितों को भी
इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें

हमारे मार्गदर्शक हज़रत खलीफ़तुल मसीह पंचम (अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़) ने अख़बार बदर के दिसंबर 2014 के विशेषांक के लिए अपना संदेश भेजते हुए फ़रमाया:

"अख़बार बदर के प्रबंधन और पाठकों को यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इस अख़बार का प्रकाशन जमाअत के सदस्यों की आध्यात्मिक सुधार और प्रगति के लिए किया गया था। हमारे बुजुर्गों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, पूर्ण लगन के साथ इसे निरंतर जारी रखने का प्रयास किया और उनकी प्रार्थनाओं पवित्र प्रयासों के आशीर्वाद से ही यह आज तक प्रकाशित हो रहा है। यह बात इस मांग को जन्म देती है कि अधिक से अधिक अहमदी इसे पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। अल्लाह तआला अपनी कृपा से भारत के अहमदियों को विशेष रूप से और दुनिया भर में रहने वाले अहमदियों को सामान्य रूप से, इसके अध्ययन और इससे जुड़े आशीर्वादों को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।"

हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यद-हुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक उपदेश को ध्यान में रखते हुए, अहमदिया जमाअत के सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक घर में अख़बार बदर के अध्ययन को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। अख़बार बदर में कुरआन व हदीस और हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के उच्च वचनों के अतिरिक्त, हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के जुमअः के उपदेश, भाषणों, साथ ही साथ हज़ूर अनवर के विभिन्न देशों की पवित्र यात्राओं की अत्यंत रोचक और ईमान बढ़ाने वाली रिपोर्टें नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं, जिनका अध्ययन प्रत्येक अहमदी के लिए आवश्यक है। अल्लाह तआला की कृपा और हमारे मार्गदर्शक हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ की दया से अब यह अख़बार उर्दू के अतिरिक्त हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगू, मलयालम, उड़िया और कन्नड़ भाषाओं में भी प्रकाशित हो रहा है। जिन अहमदी साथियों ने अभी तक अख़बार बदर अपने नाम से जारी नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि अख़बार बदर अपने नाम से जारी करवाकर स्वयं भी इसका अध्ययन करें और अपने बच्चों और घर के अन्य सदस्यों को भी इसे पढ़ने का अवसर प्रदान करें। अल्लाह तआला हमें हमारे हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के उपदेशों पर, उनकी वास्तविक भावना के अनुसार, पूर्ण रूप से अमल करने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।

अख़बार बदर के समय पर न पहुंचने, चंदे की अदायगी, या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया कार्यालय प्रबंधक, साप्ताहिक अख़बार बदर से संपर्क करें।

★ ★ ★

(प्रबंधन)

ज़रूरत है

नज़ामत तामीरात क़ादियान को एक विद्युत् निरीक्षक (Electrical Supervisor) की।

आवश्यक विवरण / शैक्षिक योग्यता / अनुभव :

- (1) अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक न हो। (परिस्थिति के अनुसार अपवाद पर विचार किया जा सकता है।)
- (2) अभ्यर्थी के पास विद्युत् क्षेत्र में प्रमाणपत्र अथवा व्यावसायिक योग्यता (जैसे औद्योगिक संस्था अथवा व्यावसायिक विद्यालय से) होना अनिवार्य है।
- (3) अभ्यर्थी के पास विद्युत् निरीक्षक (Electrical Supervisor) का लाइसेंस होना चाहिए।
- (4) अभ्यर्थी के पास अतिरिक्त प्रमाणपत्र हों जैसे सुरक्षा प्रमाणपत्र (Safety Certificate), प्रथम उपचार/सी.पी.आर. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (First Aid/CPR Training Certificate), उच्च/निम्न वोल्टेज स्विचिंग संचालन (HV/LV Switching Operations) का प्रमाणपत्र।
- (5) अभ्यर्थी को विद्युत् संस्थापन, मरम्मत अथवा परियोजना कार्य में न्यूनतम 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो।
- (6) निरीक्षक अथवा प्रमुख तकनीशियन (Lead Technician) के रूप में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो।
- (7) औद्योगिक विद्युत् तंत्र, नियंत्रण पैनल, स्विचगियर, विद्युत् वितरण प्रणाली, तारबत्ती और कंडुइट तंत्र के कार्य का अनुभव हो।
- (8) विद्युत्कर्मियों अथवा तकनीशियनों की टीम का प्रबंधन करने का अनुभव हो।
- (9) अभ्यर्थी को विद्युत् संहिता (Electrical Codes) और सुरक्षा मानकों की गहन समझ हो।
- (10) विद्युत् चित्रों और ब्लूप्रिन्ट को पढ़ने और समझने की क्षमता हो।
- (11) विद्युत् समस्याओं के निवारण (Troubleshooting) का अनुभव हो।
- (12) उत्तम संप्रेषण और टीम नेतृत्व की कुशलता हो।
- (13) अभ्यर्थी स्वस्थ हो। धार्मिक एवं नैतिक स्थिति उत्तम हो। सभ्य हो और सहकर्मियों के साथ सहनशील व्यवहार रखता हो।

आवश्यक निर्देश :

- (1) साप्ताहिक समाचारपत्र 'बदर' में प्रकाशित अंतिम घोषणा के 2 माह के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदन ही विचारार्थ लिए जाएंगे।
 - (2) इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन मुद्रित प्रपत्र पर अपने जिला अमीर / स्थानीय अमीर / सदर जमाअत / मुबलिग इंचार्ज के सत्यापित हस्ताक्षर तथा मुहर सहित प्रेषित करें।
 - (3) साक्षात्कार में सफलता की स्थिति में अभ्यर्थी को नूर अस्पताल, क़ादियान से चिकित्सीय परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा और केवल वही अभ्यर्थी सेवा का अधिकारी होगा जो नूर अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ एवं तंदुरुस्त पाया जाएगा।
 - (4) क़ादियान आने-जाने का यात्रा व्यय तथा चिकित्सीय प्रमाणपत्र का व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
 - (5) साक्षात्कार के समय अपनी मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्र साथ लाना आवश्यक होगा।
- नोट : साक्षात्कार की तिथि से अभ्यर्थियों को पश्चात सूचित किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

नज़रत दीवान, सदर अंजुमन अहमदिया, क़ादियान, गुरदासपुर, पंजाब – पिन कोड : 143516
मोबाइल : 9682587713, 9888232530, 9682627592
कार्यालय : 01872-501130, Email: diwan@qadian.in



अख़बार बदर के अंकों की रक्षा करें

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की यादगार अख़बार "अख़बार बदर" 1952 ई.से लगातार क़ादियान दारुल अमान से मुद्रित हो रहा है, और जमआत की दीनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इस में कुरआन-ए-करीम की आयात, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मलफ़ूज़ात और लेखनी के इलावा सय्यदना हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के ताज़ा ख़ुत्बात जुमा और खिताबात, अध्याम्पूर्ण संदेश, ख़ुत्बा जुमा प्रश्न उत्तर के रूप में और हुज़ूर के दौराजात की निहायत ईमान अफ़रोज़ और दीनी और दुनियावी इल्म के ख़ज़ानों से भरपूर रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हैं। इनका अध्ययन करना, उनको दूसरों तक पहुंचाना, इन पर कर्म करना और उनके माध्यम से अपनी और अपने बच्चों की शिक्षा-और-तर्बीयत करना हम सब का फ़र्ज़ है। इन समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अख़बार बदर के शुमारों को हिफ़ाज़त के साथ अपने पास सुरक्षित रखना हम सब की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

दीनी शिक्षा-ओ-तर्बीयत पर आधारित यह मुक़द्दस अख़बार तक्राज़ा करता है कि इसका सम्मान किया जाए। इसलिए उसको रद्दी में बेचना यह सम्मान का उल्लंघन करने के समान है। यदि इस को सँभालना मुम्किन न हो तो सावधानी के साथ इस को नष्ट करें ताकि इन पवित्र लेखनियों का अपमान न हो। उम्मीद है कि जमआत इस तरफ़ विशेष ध्यान फ़रमाएँगी और इस से भरपूर लाभ प्राप्त करते हुए इन विषयों को समक्ष रखेंगे।

(संस्थान)



क्या इस्लाम में बच्चों को गोद लेने की अनुमति है तथा उनके क्या अधिकार हैं?

क्या इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार दूध बैंक स्थापित करने की अनुमति है?

वित्त पढ़ने का सही तरीका क्या है तथा छुट्टियों के दौरान किराए पर लिए अपार्टमेंट के बर्तनों का उपयोग किया जा सकता है?

.मुसलमानों पर शादी करना क्यों फर्ज है?

बैंक के प्रबंधन में इंजीनियर के रूप में या बैंक की स्वामित्व वाली किसी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी करना जायज़ है?

क्योंकि इससे सूद और शराब के काम पर सहयोग होता है?

"لَمْ يَطْبُخُنَّ اَنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ" इस आयत में 'जिन्न' शब्द से क्या अभिप्राय है?

जानवरों के मरने के बाद उनकी आत्माओं का क्या होता है?

मनुष्य की सृष्टि के पानी से होने का अर्थ यदि मानव शरीर की अंतःकोशिकीय (Intracellular) और बाह्यकोशिकीय (Extracellular) प्रणाली से लगाया जाए, तो इस बारे में मार्गदर्शन क्या है?

क्या पत्नी को तलाक देने के बाद इंतज़ार की अवधि (इद्दत) में पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना लेने से तलाक रद्द हो जाती है?

प्रश्न: क्या ज़मीन की कमी या महामारी के कारण मृतकों को जलाया जा सकता है?

विधवा की इंतज़ार की अवधि (इद्दत) के बारे में मार्गदर्शन?

क्या विधवा/तलाकशुदा महिला के विवाह के लिए अभिभावक (वली) की अनुमति आवश्यक है?

किसी व्यक्ति के नबूवत (पैगंबरी) और मुजद्दियत के दावे के बारे में क्या रुख होना चाहिए?

सय्यदना हज़रत अमीरुल मौमेनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ से पूछे जाने वाले अहम प्रश्नों के उत्तर (क्रिस्त 46-47)

प्रश्न: कुवैत से एक महिला ने हज़रत अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ से पूछा कि हम मुसलमानों पर शादी करना क्यों फर्ज है? और यदि कोई बहुत नेक हो लेकिन शादी न करे तो क्या वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा? हज़रत अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला ने अपने पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2021 में इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर प्रदान फ़रमाया। हज़रत अनवर ने फ़रमाया:

उत्तर: मुसलमानों के लिए शादी करना इस्लाम के बुनियादी आदेशों में से एक आदेश है। अल्लाह तआला ने भी कुरआन करीम में इसका इरशाद फ़रमाया है। इसलिए फ़रमाया: "फ़ाकिहू मा ताबा लकुम मिननिसाई मसना व सुलासा व रुबाअ"। (सूरत अन-निसा: 4) अर्थात् औरतों में से जो तुम्हें पसंद आएँ, उनसे निकाह करो, दो-दो और तीन-तीन और चार-चार।

इसी तरह शादी करना आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लमकी सुन्नत है और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लमने फ़रमाया है कि असली मुसलमान वही है जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है। इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है: "क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन लम यअमल बिसुन्नती फ़लैसा मिन्नी व तज़व्वजू फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उम्म, व मन काना ज़ा तौलिन फ़लयन्किह व मन लम यजिद फ़अलैहि बिस्सियामि फ़इन्नसौमा लहु विजाउन।" (सुनन इब्ने माजा, किताब अन्निकाह, बाब मा जाआ फी फ़ज़लिनिकाह) अर्थात् रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: निकाह मेरी सुन्नत है। पस जो मेरी सुन्नत पर अमल न करे, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं। और निकाह किया करो क्योंकि तुम्हारी अधिकता पर मैं उम्मतों के सामने फ़ख्र करूँगा। और जिसमें सामर्थ्य हो तो वह निकाह करे और जिसमें सामर्थ्य न हो तो वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को तोड़ देगा।

अतः यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा हो और कुफु (बराबरी) भी हो तो शादी अवश्य करनी चाहिए। लेकिन यह नहीं कि किसी भी काफ़िर और मुल्हिद (नास्तिक) के साथ शादी कर ली जाए, बल्कि इस मामले में भी इस्लामी शिक्षाओं और इंतजामी हिदायतों को प्रेक्षण में रखना ज़रूरी है।

प्रश्न: मिस्र से एक डॉक्टर साहिब ने हज़रत अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ की सेवा में लिखा कि बैंक के प्रबंधन में इंजीनियर के रूप में या बैंक की स्वामित्व वाली किसी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी करना जायज़ है? क्योंकि इससे सूद और शराब के काम पर सहयोग होता है? हज़रत अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला ने अपने पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2021 में इस मामले के बारे में निम्नलिखित हिदायत फ़रमाई। हज़रत अनवर ने फ़रमाया:

उत्तर: मौजूदा ज़माने में बैंकिंग सिस्टम लगभग हर दुनियावी कारोबार का लाज़िमी

ज़रूह (अंग) है और दुनिया के अधिकतर बैंकों के सिस्टम में किसी न किसी तरह सूद का अन्सार मौजूद होता है, जो उन कारोबारों का भी हिस्सा बनता है। इसलिए इस बात को समझने के लिए इस ज़माने के हक़म व अद्ल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अग्रलिखित इरशाद बुनियादी हैसियत रखता है। हज़रत अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं: "अब इस मुल्क में अधिकतर मसाइल ज़ैरोज़बर (उलट-पलट) हो गए हैं। कल (सभी) तिजारतों में एक न एक हिस्सा सूद का मौजूद है। इसलिए इस वक्त नए इज्तिहाद की ज़रूरत है।" (अल-बद्र अंक 41 व 42, भाग 3, दिनांक 1 व 8 नवंबर 1904, पृष्ठ 8)

अतः ऐसे हालात में यदि इंसान बहुत अधिक वहम (शक) में पड़ा रहे तो उसका जीवन व्यतीत करना ही दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि आम जीवन में जो लिबास हम पहनते हैं, उन कपड़ों का कारोबार करने वाली कंपनियों में भी कहीं न कहीं सूदी पैसा लगा होगा। जो ब्रेड हम खाते हैं, उसके कारोबार में भी कहीं न कहीं सूदी पैसे की आमेज़िश होगी। यदि इंसान इन सभी दुनियावी ज़रूरतों को छोड़-छाड़ कर अपने घर में ही बैठना चाहे, जो प्रत्यक्ष रूप से असंभव है, फिर भी वह मकान जिस ईंट, रेत और सीमेंट से बना है, उन चीज़ों को बनाने वाली कंपनियों के कारोबार में भी कहीं न कहीं सूदी कारोबार या सूद के पैसे की मिलावट होगी।

अतः बहुत अधिक मैन-मेख निकाल कर और वहम में पड़ कर अपने लिए बिना वजह मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। हदीस में भी आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं: "अन्ना कौमन क़ालू या रसूलुल्लाहि इन्ना कौमन यअतूना बिल्लहमि ला नदरी अज़करुस्मल्लाहि अलैहि अम ला, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम सम्मुल्लाहा अलैहि व कुलूह।" (सहीह बुखारी, किताब अल-बयूअ, बाब मन लम यरल वसाविस व नहवहा मिनशुबुहात) अर्थात् कुछ लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह! एक जमात हमारे पास गोशत लेकर आती है, हम नहीं जानते कि उन्होंने (उसे ज़ब्ह करते वक्त) उस पर अल्लाह का नाम लिया होता है या नहीं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: तुम उस गोशत पर अल्लाह का नाम (बिस्मिल्लाह) पढ़ लिया करो और उसे खा लिया करो।

इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में अर्ज़ किया गया कि क्या हिंदुओं के हाथ का खाना सही है? फ़रमाया: "शरीयत ने उसे मुबाह रखा है। ऐसी पाबंदियों पर शरीयत ने ज़ोर नहीं दिया है, बल्कि शरीयत ने तो "क़द अफ़लहा मन जक्काहा" पर ज़ोर दिया है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आर्मेनियों के हाथ की बनी हुई चीज़ें खा लेते थे और बग़ैर इसके गुज़ारा भी तो नहीं होता।" (अल-हक़म अंक 19, भाग 8, दिनांक 10 जून 1904, पृष्ठ 3) हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अहदे मुबारक में एक मित्त जो माहकमा आबकारी (एक्साइज विभाग) में नाइब तहसीलदार थे, उन्होंने हज़रत से

बज़रिए खत पूछा कि क्या इस प्रकार की नौकरी हमारे लिए जायज़ है? हज़रत अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फ़रमाया: "इस वक़्त हिंदुस्तान में ऐसे सभी उमूर (मामले) हालाते इज़तिरार (विवशता की स्थिति) में दाखिल हैं। तहसीलदार या नाइब तहसीलदार न शराब बनाता है, न बेचता है, न पीता है। सिर्फ़ उसकी इंतजामी निगरानी है और बिलहज़र सरकारी नौकरी के उसका फ़र्ज़ है। मुल्क की सल्तनत और हालाते मौजूदा के लिहाज़ से इज़तिरारन यह अम्र जायज़ है। हाँ, खुदा तआला से दुआ करते रहना चाहिए कि वह इंसान के लिए इससे भी बेहतर सामान पैदा करे। गवर्नमेंट के मातहत ऐसी नौकरियाँ भी हो सकती हैं जिनका ऐसी बातों से तअल्लुक न हो और खुदा तआला से इस्तिगफार करते रहना चाहिए।" (अख़बार बदर अंक 39, भाग 6, दिनांक 26 सितंबर 1907, पृष्ठ 6) हज़रत मुस्लिह मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैंक की नौकरी के बारे में फ़रमाते हैं: "जिस नौकरी में सूद लेने या उसकी तहरीक (प्रोत्साहन) करने का काम करना पड़ता हो, वह मेरे नज़दीक जायज़ नहीं। हाँ, ऐसे बैंक के हिसाब-किताब की नौकरी जायज़ है।" (अख़बार अल-फ़ज़ल कादियान दारुल अमान अंक 95, भाग 3, दिनांक 7 मार्च 1916, पृष्ठ 9)

फिर एक और मौक़ पर फ़रमाया: "जिस नौकरी में सूद की तहरीक करनी पड़े, वह नाजायज़ है। क्लर्क और हिसाब रखना बातसलसुल (निरंतर) नौकरी जायज़ है।" (अख़बार अल-फ़ज़ल कादियान दारुल अमान अंक 113, भाग 3, दिनांक 13 मई 1916, पृष्ठ 8)

अतः इंसान को वहमों और शक-ओ-शुबहा में मुब्तला हुए बग़ैर तक्वा से काम लेते हुए अपने मामलात और दुनियावी उमूर को बजा लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ सीधे तौर पर किसी मनमाना काम में पड़ने का इमकान हो या किसी चीज़ की हुरमत स्पष्ट रूप से नज़र आती हो, उससे हर सूत परहेज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक वहमों में पड़ कर जायज़ अश्या (चीज़ों) के इस्तेमाल से बिना वजह किनाराकशी इस्तियार नहीं करनी चाहिए।

प्रश्न: जॉर्डन के एक साथी ने सूरह अर-रहमान की आयत के संदर्भ में पूछा है कि यहाँ 'जिन्न' से क्या तात्पर्य है? महामहिम ने 18 अक्टूबर 2021 के अपने पत्र में इसका निम्नलिखित उत्तर दिया:

उत्तर: पवित्र कुरआन और पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की हदीसों में 'जिन्न' शब्द बार-बार और विभिन्न अर्थों में आया है। हर स्थान पर वाक्य-संरचना और संदर्भ के अनुसार इसके अर्थ निर्धारित होंगे। 'जिन्न' का मूल अर्थ 'छिपी हुई वस्तु' का है, चाहे वह अपनी बनावट के कारण छिपी हो या अपनी आदतों के कारण। यह शब्द विभिन्न रूपों और व्युत्पन्न शब्दों में परिवर्तित होकर अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है और इन सभी अर्थों में 'छिपा हुआ' या 'पदों के पीछे रहने' का भाव साझा तौर पर पाया जाता है।

उदाहरण के लिए, 'जिन्न' मूल से बने विभिन्न शब्द जैसे 'जन्न' (छाया करना या अंधेरा फैलाना), 'जनीन' (माँ के गर्भ में छिपा शिशु), 'जुनून' (वह रोग जो बुद्धि को ढक ले), 'जनान' (छाती के भीतर छिपा हुआ दिल), 'जन्नत' (वह बाग जिसके घने पेड़ जमीन को ढक दें), 'मजन्नत' (वह ढाल जिसके पीछे लड़ने वाला स्वयं को छिपा ले), 'जान्न' (वह साँप जो जमीन में छिपकर रहता हो), 'जन्न' (वह कन्न जो मुर्दे को अपने भीतर छिपा ले) और 'जुन्नत' (वह चादर जो सिर और बदन को ढक ले) आदि अर्थों में प्रयुक्त होते हैं।

फिर, 'जिन्न' शब्द पर्दानशीन महिलाओं के लिए भी प्रयोग होता है। इसी तरह ऐसे बड़े नेता और प्रतिष्ठित लोगों के लिए भी बोला जाता है जो आम लोगों से मेल-जोल नहीं रखते। साथ ही, ऐसी जातियों के लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता है जो भौगोलिक रूप से दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों से कटे हुए हैं।

इसी प्रकार अंधेरे में रहने वाले जानवरों और बहुत बारीक कीड़े-मकोड़ों तथा जीवाणुओं के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। इसीलिए पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) ने रात के समय खाने-पीने के बर्तनों को ढककर रखने का आदेश दिया (सही मुस्लिम, किताब अल-अशरिबा, बाब अल-अम्र बितग़ातीयतिल इना...) और हड्डियों से पाखाना साफ़ करने से मना फ़रमाया और उसे 'जिन्न' अर्थात् चींटियों, दीमक और अन्य जीवाणुओं का भोजन बताया (सहीह बुखारी, किताब अल-मनाक़िब, बाब वर्णन अल-जिन्न)।

इसके अतिरिक्त, 'जिन्न' शब्द छिपी हुई दुष्ट आत्माओं अर्थात् शैतान और छिपी हुई पवित्र आत्माओं अर्थात् फरिश्तों के लिए भी प्रयोग होता है, जैसा कि कहा गया है: "हम में से कुछ सज्जन हैं और हम में से कुछ इसके विपरीत..." (सूरह अल-जिन्न: 12)। अतः जैसा कि ऊपर बताया गया है, हर स्थान पर वाक्य-संरचना और संदर्भ के अनुसार इस शब्द के अर्थ होंगे। आपके प्रश्न में वर्णित सूरह अर-रहमान की आयत

لَمْ يَطْمِئِنَّا بِأَنْفُسِنَا قَبْلَهُمْ وَلَا جِئْنَا

में 'जिन्न' जो 'इन्स' के विपरीत प्रयुक्त हुआ है, उससे अभिप्राय विशिष्ट वर्ग, उच्च पद और प्रतिष्ठा वाले, धनी लोग और बड़े नेता तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आयत का भाव यह है कि अल्लाह तआला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसे स्वर्ग तैयार किए हैं जिनमें उन नेक बंदों के लिए ऐसी अनुपम नेमतें होंगी जो केवल उन्हीं स्वर्गों के लिए विशेष होंगी और उनसे पहले ये नेमतें हर प्रकार के आम और खास लोगों की पहुँच से पूरी तरह दूर रही होंगी।

प्रश्न कनाडा के एक साथी ने जानवरों के मरने के बाद उनकी आत्माओं के बचे रहने के बारे में हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के एक कथन का हवाला देते हुए महामहिम से पूछा है कि आपने वक्फ-ए-नौ की एक कक्षा में फ़रमाया था कि जानवरों के मरने के बाद उनकी आत्मा बाकी नहीं रहती और उनका जीवन इसी दुनिया में समाप्त हो जाता है। उन्होंने पूछा है कि इन दोनों बातों में कैसे सामंजस्य हो सकता है? महामहिम ने 19 अक्टूबर 2021 के अपने पत्र में इस सवाल के बारे में निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया:

उत्तर: आपने अपने पत्र में जिस वार्तालाप का हवाला दिया है, वह 1908 में सैय्यदना हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) और इंग्लैंड के प्रोफेसर रीग साहब के बीच लाहौर में दो बैठकों में प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ था। इसमें प्रोफेसर साहब ने हज़रत (अलैहिस्सलाम) की सेवा में अल्लाह तआला के स्वरूप, पैगंबरों का आगमन, ब्रह्मांड, अच्छाई और बुराई की प्रेरणाएँ, शैतान, सांसारिक और पारलौकिक जीवन, मनुष्यों का आत्माओं से संबंध, निम्न का उच्च के लिए बलिदान होना, जानवर और उनकी आत्माएँ तथा विकास का सिद्धांत आदि विभिन्न विषयों पर लगातार प्रश्न पेश किए। हज़रत (अलैहिस्सलाम) ने उन प्रश्नों के अत्यंत ज्ञानवर्धक उत्तर देते हुए जहाँ इन विषयों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, वहीं उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की बुद्धि एवं चेतना, कष्टों, संवेदनाओं और उनके इस संसार के कार्य-व्यवहार तथा पारलौकिक जीवन में मिलने वाले प्रतिफल के आपसी अंतर को भी स्पष्ट किया। इसलिए एक प्रश्न के उत्तर में हज़रत (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया: "यह संसार एक संक्षिप्त संसार है। इसके बाद अल्लाह तआला ने एक विशाल संसार रखा है जिसमें उसने इरादा और वादा किया है कि सच्ची और स्थायी खुशहाली दी जाएगी। इस जगत में जो भी दुख है, उसकी भरपाई और क्षतिपूर्ति दूसरे संसार में कर दी जाएगी। इस जगत में जो कमी पाई जाती है, उसे आने वाले संसार में पूरा कर दिया जाएगा। दुख, दर्द, कष्ट, रंजो-गम तो छोटे-बड़े सभी को समान रूप से सहन करना पड़ता है और यह इस विश्व-व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक और जरूरी थे। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी दुख से रहित नहीं है। हर प्राणी को अपने-अपने स्तर के अनुसार इसमें भाग लेना ही पड़ता है। हाँ, कोई किसी रूप में है और कोई किसी रूप में... दूसरी बात जो विचारणीय है, वह यह है कि चूँकि मानवीय कष्ट, पशुओं के कष्टों से अधिक हैं (इसीलिए मानवीय प्रतिफल भी पशुओं के प्रतिफल से बढ़ा-चढ़ा होगा)। मानवीय कष्ट दो प्रकार के हैं। एक धार्मिक आदेशों से संबंधित कष्ट, दूसरे भाग्य और दैवीय निर्णय से संबंधित कष्ट। भाग्य और दैवीय निर्णय से संबंधित कष्टों में मनुष्य और पशु समान और लगभग बराबर हैं..."

"शेष धार्मिक आदेशों से संबंधित कष्टों में मनुष्य के साथ पशुओं का कोई साझा नहीं है। धार्मिक आदेश भी एक प्रकार की छुरी हैं जो मनुष्य की गर्दन पर चलती है, किंतु पशु इससे मुक्त है। धार्मिक मामले भी एक प्रकार की मौत हैं जिसे मनुष्य को अपने ऊपर ग्रहण करना पड़ता है। अतः इस प्रकार इन बातों को समग्र रूप से देखने से स्पष्ट ज्ञात होगा कि मानवीय कष्ट पशुओं के कष्टों से बहुत अधिक हैं।"

"तीसरी बात जो याद रखने योग्य है, वह यह है कि मनुष्य की इन्द्रियों में बहुत तीव्रता है। मनुष्य में संवेदनशीलता की शक्ति अधिक पाई जाती है। पशु या पेड़-पौधे इसके मुकाबले में बहुत कम संवेदनशीलता रखते हैं... अतः पशु इन कष्टों का बहुत कम अनुभव करते हैं और संभव है कि कभी-कभी बिल्कुल भी अनुभव न करते हों।"

"अब विचार का विषय है कि दुनिया में इन कष्टों का बोझ किस पर अधिक है, मनुष्य पर या पशु पर? स्पष्ट है कि मनुष्य को ही इन सांसारिक कठिनाइयों में पशुओं की तुलना में अधिक भाग लेना पड़ता है।"

"इसी क्रम में प्रोफेसर साहब के अगले प्रश्न कि क्या पशुओं को भी आने वाले संसार में कोई प्रतिफल दिया जाएगा? के उत्तर में हज़रत (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया: "हाँ, हम मानते हैं कि प्रत्येक को उसके स्तर के अनुसार उसके सांसारिक कष्टों का प्रतिफल दिया जाएगा और उसके दुखों और कष्टों की क्षतिपूर्ति की जाएगी।"

"साथ ही प्रोफेसर साहब के प्रश्न कि तो फिर इसका यह अनिवार्य परिणाम होगा कि उन पशुओं को, जिन्हें हम मारते हैं, हम मरा हुआ न मानकर जीवित मानें? हज़रत (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया: "हाँ, यह आवश्यक बात है, वे नष्ट नहीं हुए, उनकी आत्मा बाकी है, वे वास्तव में नहीं मरे बल्कि वे भी जीवित हैं।"

(मल्फूज़ात, खंड 10, पृष्ठ 429-432, संस्करण 1984)

"उस वार्तालाप में हज़रत (अलैहिस्सलाम) ने धार्मिक आदेशों के संदर्भ में मनुष्यों और पशुओं के कर्तव्यपालन (मुकल्लफ होने) और उनके साथ अल्लाह तआला के व्यवहार के जो आपसी अंतर बताया है, वक्फ-ए-नौ की कक्षा में मैंने भी कुछ भिन्न शब्दों के साथ उसी भाव को व्यक्त करते हुए पशुओं के जीवन का इसी दुनिया में समाप्त होना कहा था। मेरा अभिप्राय यह था कि चूँकि पशु धार्मिक आदेशों के पाबंद नहीं हैं, इसलिए परलोक में उनके साथ मनुष्यों जैसा प्रतिफल (जन्नत-दोजख) का व्यवहार नहीं होगा। हाँ, जैसा कि हदीसों में भी आता है कि सींग वाली बकरी से बिना सींग वाली बकरी का बदला लिया जाएगा (सहीह मुस्लिम, किताब अल-बिर्रि वस्ललति वल आदाब), कयामत के दिन उनके बीच केवल आपसी बदले का लेन-देन होगा। हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के उपरोक्त कथन

के अंतिम शब्द भी पशुओं की आत्मा की इसी प्रकार की सत्ता की निरंतरता को बता रहे हैं।"

"जबकि मनुष्य, जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और जिसे धार्मिक आदेशों का पालन करने का दायित्व दिया गया है, उसके प्रतिफल का निर्णय उन धार्मिक आदेशों के आधार पर होगा और उसके लिए उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक का भी निर्णय किया जाएगा।"

"धार्मिक दृष्टि से कर्तव्यपालन और अपने कर्मों के आधार पर प्रतिफल पाने की बात में मनुष्यों और पशुओं की आत्माओं के अंतर के संबंध में हज़रत (अलैहिस्सलाम) के मल्फूज़ात में उल्लिखित उपरोक्त कथन के अलावा, हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कुछ पुस्तकों में भी मनुष्यों और पशुओं की आत्माओं के अंतर को स्पष्ट किया है। इसलिए, अल्लाह तआला के इस कथन कि 'हमने अमुक कौम को मार डाला और फिर जिलाया', 'एक पैगंबर को सौ साल तक मारा रखा और फिर जिलाया', 'हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की पहचान में जानवरों को जिलाया गया' आदि रूपकों की वास्तविकता स्पष्ट करते हुए हज़रत (अलैहिस्सलाम) लिखते हैं: "यह कदापि सत्य नहीं है कि उन सभी स्थानों में, जहाँ मुर्दे के जी उठने का वर्णन है, वास्तविक और भौतिक मृत्यु के बाद जी उठना लिखा गया है, बल्कि भाषा की दृष्टि से 'मौत' के अर्थ नींद और हर प्रकार की बेहोशी भी हैं। अतः आयतों को अनावश्यक रूप से विरोधाभास में क्यों डाला जाए? और यदि कल्पना के तौर पर चार जानवर मरने के बाद जी उठे हों तो वह आत्मा के पुनरुद्धार (इआदा-ए-रुह) में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के अलावा किसी अन्य पशु या कीड़े-मकोड़े की आत्मा को स्थायित्व प्राप्त नहीं है। यदि वह जी उठे तो वह एक नई सृष्टि होगी। जैसा कि कुछ 'अजाइबुल मख्लूक़ात' नामक ग्रंथों में लिखा है कि यदि बहुत से बिच्छुओं को पीसकर किसी विशेष विधि से किसी बर्तन में बंद किया जाए तो उस लेई से जितने भी जीव उत्पन्न होंगे, वे सब बिच्छू ही होंगे। तो क्या कोई बुद्धिमान यह सोच सकता है कि वही बिच्छू दोबारा जीवित होकर आ गए जो मर गए थे? बल्कि सही मत, जो पवित्र कुरआन से सिद्ध होता है, वह यही है कि धरती की सृष्टियों में से 'जिन्न' और 'इन्स' के अलावा किसी अन्य वस्तु को शाश्वत आत्मा प्रदान नहीं की गई है।" (इज़ाला-ए-औहाम, रूहानी खज़ायन, खंड 3, पृष्ठ 620-621)

"आर्य मत के विश्वासों के विपरीत इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर मानव आत्मा की स्थायित्व की वास्तविकता स्पष्ट करते हुए हज़रत (अलैहिस्सलाम) फरमाते हैं: "यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि मुसलमान भी मानव आत्माओं को शाश्वत मानते हैं, क्योंकि पवित्र कुरआन यह नहीं सिखाता कि मानव आत्माएँ अपने स्वभाव से ही शाश्वत हैं, बल्कि वह यह सिखाता है कि यह शाश्वतत्व मानव आत्मा के लिए केवल अल्लाह तआला का दिया हुआ वरदान है, अन्यथा मानव आत्मा भी अन्य पशुओं की आत्माओं की भाँति नाशवान है।"

(नसीम-ए-दावत, रूहानी खज़ायन, खंड 19, पृष्ठ 382, टिप्पणी)

"अतः हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के कथनों और वक्फ-ए-नौ कक्षा में मेरी ओर से कही गई बात में मेरी समझ से कोई विरोधाभास नहीं है। यदि पहले बात स्पष्ट नहीं थी तो अब स्पष्ट हो कि पशुओं का मामला केवल एक-दूसरे से बदला लेने तक सीमित है और उन पर धार्मिक आदेश लागू नहीं होंगे और न ही उनका प्रतिफल (स्वर्ग-नरक) से कोई संबंध होगा। जबकि मनुष्य का मामला धार्मिक आदेशों के अधीन देखा जाएगा और मनुष्य के कर्मों और उसके धार्मिक आदेशों पर चलने के अनुसार ही उसके प्रतिफल का निर्णय होगा।"

प्रश्न : जर्मनी के एक साथी ने पवित्र कुरआन की आयतों :

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَخِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

(सूरह अल-फुरकान: 54-55) में वर्णित नमकीन और मीठे पानी के दो समुद्रों, तथा मनुष्य की सृष्टि के पानी से होने का अर्थ यदि मानव शरीर की अंतःकोशिकीय (Intracellular) और बाह्यकोशिकीय (Extracellular) प्रणाली से लगाया जाए, तो इस बारे में हज़रत अनवर से मार्गदर्शन चाहा है। साथ ही, प्रश्नकर्ता ने यह भी लिखा है कि ये कोशिकाएँ (Cells) भी मीठे और नमकीन पानी से मिलकर बनी होती हैं और उनके बीच एक रुकावट (झिल्ली) होती है। तथा प्रत्येक मानव शरीर इसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। महामहिम ने 19 अक्टूबर 2021 के अपने पत्र में इस सवाल के बारे में निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया:

उत्तर: आपकी यह बात रुचिकर स्तर तक ठीक है और इन आयतों का एक पहलू वह भी हो सकता है जो आपने बताया है। किंतु इन आयतों से केवल यही पहलू लेना पवित्र कुरआन के विस्तृत भाव को सीमित करने वाली बात होगी। क्योंकि पवित्र कुरआन की इन आयतों के अनेक पहलू हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती व्याख्याकार (मुफस्सिरिन) भी अपने-अपने समय में बयान करते आए हैं। और हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) तथा आपके खलीफ़ाओं ने भी इन आयतों के अनेक नए पहलू बयान किए हैं, जिन्हें हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) और आपके खलीफ़ाओं की पुस्तकों और व्याख्याओं में देखा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, समुद्र का पानी जो अत्यंत खारा होता है, उसी से बादल बनकर जब वर्षा होती है तो वह पानी बहुत मीठा होता है और इन दोनों प्रकार के पानियों के बीच एक ऐसी

रुकावट (विभाजक) होती है जो उन्हें कभी मिलने नहीं देती। इसी प्रकार बाह्य रूप से इनसे समुद्रों और नदियों के पानी भी अभिप्रेत हो सकते हैं। समुद्रों का पानी नमकीन होता है और नदियों का पानी मीठा होता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा, जो मीठे पानी के समान होती है, और अविश्वास की शिक्षा, जो नमकीन पानी के समान होती है, से भी अभिप्राय लिया जा सकता है। अर्थात्, जो शिक्षाएँ सीधे अल्लाह की ओर से आती हैं, वे मीठी (सुखद) होती हैं और जो शिक्षाएँ बाद में दुनिया में आई हैं और सीधे प्रकाशन (इल्हाम) से वंचित हैं, वे कड़वी (कष्टदायक) होती हैं।

इसी प्रकार मनुष्य और प्रत्येक जीवित वस्तु के पानी से पैदा होने की भी अनेक व्याख्याएँ हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) और अहमदीयत के खलीफ़ाओं ने बयान की हैं। जिनमें से यह भी है कि प्रत्येक वस्तु पानी से ही जीवित है। इसलिए, आसमान से जब वर्षा होती है तो धरती में फसलें उगती हैं जो जीवन का कारण बनती हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के लिए भी आवश्यक है कि आसमान से आध्यात्मिक पानी (वह्य/इल्हाम) उतरता रहे। इसी तरह मीठे और नमकीन पानी के जो भंडार हैं, अर्थात् समुद्र और नदियाँ, उनमें भी अल्लाह तआला ने विभिन्न प्रकार की मछलियों और जलजीवों के रूप में मनुष्यों और अन्य जानवरों के लिए भोजन के रूप में जीवन के साधन पैदा किए हैं।

अतः इन कुरआनी आयतों में वर्णित विस्तृत भावों को केवल एक पहलू तक सीमित रखना उचित नहीं है। हाँ, इनसे ऐसे विभिन्न अर्थ निकालना जो पवित्र कुरआन और पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की शिक्षाओं तथा पैगंबर (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) के सच्चे सेवक और उस समय के न्यायाधीश हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) की व्याख्याओं एवं विवेचनाओं के अनुकूल हों, जायज़ है।

प्रश्न : जर्मनी के एक साथी ने नाज़िम साहिब कजा जर्मनी को लिखे गए अपने पत्र की प्रति महामहिम की सेवा में भी भेजी है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद इंतज़ार की अवधि (इद्दत) में पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेने और फिर उन संबंधों के बारे में न्यायाधिकरण (कजा) से गलत बयानी करने पर न्यायाधिकरण के तलाक के फैसले की स्थिति के बारे में पूछा है। साथ ही पूछा है कि क्या न्यायाधिकरण के उस फैसले से उनकी तलाक हो गई है या उन्हें यह सारी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी? महामहिम ने 29 अक्टूबर 2021 के अपने पत्र में इस सवाल का निम्नलिखित उत्तर दिया:

उत्तर: आपके वर्णित मामले के अनुसार, आपकी वह तलाक जिसकी इंतज़ार अवधि (इद्दत) के दौरान आप पति-पत्नी में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए थे, प्रभावी (मान्य) नहीं हुई। और इसके संबंध में न्यायाधिकरण (कजा) की ओर से आप पति-पत्नी के बीच किया गया तलाक का फैसला सही नहीं है, क्योंकि आपने न्यायाधिकरण से गलत बयानी की थी। हाँ, इस्लाम में पति को दिए गए तलाक के तीन अवसरों में से एक अवसर आपने उपयोग कर लिया है। साथ ही, उस तलाक की इद्दत के दौरान आप पति-पत्नी के बीच चूँकि शारीरिक संबंध स्थापित हो गए थे, इसलिए यह आपका उस तलाक से वापसी (रजुआ) माना जाएगा।

अब यदि आप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं, तो तलाक देने की स्थिति में यह आपकी ओर से दूसरी तलाक मानी जाएगी, और इंतज़ार की अवधि (इद्दत) तीन मासिक धर्मों की होगी। और यदि मासिक धर्म न आते हों तो तीन महीने की होगी और यदि आपकी पत्नी गर्भवती है तो इद्दत प्रसव तक की होगी।

इस इद्दत के बीत जाने के बाद, बशर्ते कि आप इद्दत के दौरान वापसी नहीं करते, तो फिर आप पति-पत्नी के बीच तलाक प्रभावी (मान्य) हो जाएगी।

अल्लाह तआला आप पर दया करे और आप दोनों पति-पत्नी को इस्लाम के सभी आदेशों पर सच्चाई और अल्लाह का भय सामने रखते हुए चलने की तौफ़ीक अता करे। आमीन।

प्रश्न : जापान से एक मुरब्बी साहिब ने महामहिम की सेवा में लिखा कि जापान में ज़मीन की कमी, लोगों के धर्म से दूर हो जाने और अतीत में किसी समय लाशों को ज़मीन में दफनाने से महामारी फैलने के कारण, यहाँ के लोग लाश को ज़मीन में दफनाने के बजाय जलाने की प्रथा को पसंद करते हैं। इस बारे में लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? महामहिम ने 29 अक्टूबर 2021 के अपने पत्र में इस सवाल के बारे में निम्नलिखित हिदायतें दीं:

उत्तर : मूल बात यह है कि अल्लाह तआला ने मृतक का सम्मान मानवीय फितरत (स्वभाव) में रखा है। इसलिए जो लोग अपने मृतकों को दफनाते हैं, वह भी इसलिए करते हैं कि वह नहीं चाहते कि उनके मृतक की बे-इज़्ज़ती हो। और जो लोग उसे जलाते हैं या जानवरों को खिला देते हैं, वह भी इसलिए करते हैं कि उनके मृतक सड़े-गले न रहें। और उनके नज़दीक मृतक को जलाना या जानवरों को खिला देना असल में मृतक के सम्मान की ही माँग है। इसलिए मृतक का सम्मान सिर्फ धर्म मानने वाले ही नहीं करते बल्कि गैर-धर्म के लोग भी अपने फितरती दबाव के तहत ऐसा करने पर मजबूर हैं।

इस्लाम, जो फितरत के अनुरूप धर्म है, ने हमें यही सिखाया कि मृतक को ज़मीन में दफनाया जाए। इसलिए पवित्र कुरआन में आदम के दो बेटों के वाक़ए में

अल्लाह तआला ने कौवे को भेजकर आदम के बेटे को सिखाया कि वह अपने मृत भाई की लाश को कैसे ज़मीन में दफन करे।

इस्लामी शिक्षा के अनुसार, मृतक को ज़मीन में दफनाकर जो उसकी कब्र बनाई जाती है, उसमें किसी प्रकार का शिक (अल्लाह के साथ साझीदार ठहराना) नज़र में नहीं होता या कब्र वालों की इबादत या पूजा करना मकसद नहीं होता है। बल्कि यह सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इंसान की लाश को भी उचित तरीके से इज्जत और सम्मान दिया जा सके और ताकि उसके रिश्तेदार सामर्थ्य के अनुसार उस कब्र पर आकर उसके हक में अल्लाह तआला के सामने दुआ कर सकें।

बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि लाशों को दफनाने से किसी महामारी के फैलने का अंदेशा होता है, तो यह भी एक गलत मान्यता है। क्योंकि अल्लाह तआला ने ज़मीन की मिट्टी में ऐसा गुण रखा है कि इंसानी जिस्म धीरे-धीरे खत्म होकर उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाता है।

इसलिए जब अगली पीढ़ी आती है और वक्त के साथ इस नई पीढ़ी में से बहुत सारे लोग अपने बाप-दादा को भूल जाते हैं और धीरे-धीरे बहुत सी कब्रों के नाम-ओ-निशान ज़मीन से मिट जाते हैं, तो उनकी जगह नई कब्रें तैयार हो जाती हैं। दुनिया के बहुत से कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें सैकड़ों सालों से मुर्दे दफनाए जा रहे हैं और बहुत सी पुरानी कब्रों की जगह नई कब्रें बन चुकी हैं। मदीना के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बक्री में भी यही तरीका राएज है। इसलिए मुर्दों को ज़मीन में दफनाने के तरीके के खिलाफ ज़मीन के कम होने की दलील कोई मज़बूत दलील नहीं है।

मुर्दों को दफनाने, जलाने या जानवरों को खिला देने के बारे में विभिन्न मज़हबों और समाजों में प्रचलित तरीकों के अलग-अलग पहलुओं को हज़रत मसीह मौऊद रदी अल्लाह अन्हू ने अपनी किताबों तफसीर कबीर और सैरे रूहानी में बड़ी तफसील के साथ बयान फ़रमाया है। (तफसीर कबीर, भाग 8, पृष्ठ 179-180; सैरे रूहानी नंबर 3, अनवारुल उलूम, भाग 16, पृष्ठ 317-322)

प्रश्न दारुल इफ्ता रबवा की तरफ से जारी होने वाले फतावे देखने के बाद उनमें से कुछ फतावे विधवा की इद्दत के दौरान उसके बेटे की शादी, विधवा/तलाकशुदा के निकाह के लिए वली की इजाज़त और फतावे में दिए जाने वाले हवालों के तरीके के बारे में महामहिम ने 29 अक्टूबर 2021 के अपने पत्र में निम्नलिखित हिदायतें दीं:

उत्तर : निज़ामत दारुल इफ्ता की तरफ से जारी किए गए फतावे में आपने एक शख्स को उसकी वालिदा की इद्दत-ए-वफात (मृत्यु की प्रतीक्षा अवधि) के दौरान उस शख्स की शादी के बारे में यह फतवा दिया है: "शोक और बेटे की शादी की खुशी की तकरीब में शिरकत दो मुतज़ाद (विपरीत) चीज़ें हैं। आपकी शादी की तकरीब की सूरत में आपकी वालिदा अपनी इद्दत-ए-वफात शोक की हालत में नहीं गुज़ार सकती। लिहाज़ा आपको अपनी शादी का प्रोग्राम वालिदा की इद्दत के इख्तताम (समाप्ति) पर रखना चाहिए।" (फतवा ज़ेर नंबर 11.09.2021/13)

मेरे नज़दीक आपका यह फतवा दुरुस्त नहीं है। अहादीस में तो सिर्फ विधवा के लिए चार महीने दस दिन इद्दत गुज़ारने का हुक्म है। लेकिन आप अपने इस फतवे के ज़रिए तो बाकी लोगों को भी पाबंद कर रहे हैं कि वह भी विधवा के साथ शोक में शामिल हों और अपने ज़रूरी कामों को इद्दत के इख्तताम तक मुलतवी (स्थगित) कर दें।

मेरी बेटे की शादी भी उस वक्त हुई थी जब मेरी वालिदा इद्दत में थीं। हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा मंसूर अहमद साहिब की वफात के बाद उम्मी (माँ) ने हज़रत खलीफ़तुल मसीह अर-राबे रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में रहनुमाई के लिए लिखा, तो महामहिम ने शादी मुकर्रर तारीख पर ही करने की हिदायत फरमाई और फ़रमाया कि इद्दत में घर से बाहर जाना मना है, घर में रहकर सादगी के साथ शादी की तकरीब में शामिल होना मना नहीं है। इसी लिए हमने ख्वातीन का इंतज़ाम घर के बरामदे और सहन में किया था और उम्मी महामहिम की हिदायत के मुताबिक सादगी के साथ घर में इस तकरीब में शामिल भी हुई थीं।

अतः अगर वह लोग इस शादी के प्रोग्राम को अपने तौर पर मुलतवी (स्थगित) कर दें, तो यह उनका ज़ाती मामला है। लेकिन आपका उन्हें शादी से मना करने का फतवा देना दुरुस्त नहीं है।

2. इसी तरह विधवा/तलाकशुदा के वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करने के बारे में एक इस्तिफ्ता (न्यायिक प्रश्न) पर आपने मेरे खुत्बा-ए-जुमा तिथि 24 दिसंबर 2004 के हवाले से जो फतवा दिया है, उससे अगर आप यह नतीजा निकालना चाहते हैं कि विधवा और तलाकशुदा को अपने निकाह के लिए वली की इजाज़त की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तो यह दुरुस्त नतीजा नहीं है। क्योंकि कुंवारी या विधवा/तलाकशुदा दोनों को अपने निकाह के लिए वली की इजाज़त की भी ज़रूरत होती है और दोनों के निकाह के मौक़े पर उनका वली ही इजाब-ओ-कबूल (प्रस्ताव और स्वीकृति) करता है।

आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) के इरशादात और खुलफाए राशिदीन के तआमुल (अमल) से साबित होता है कि हर औरत, ख्वाह वह कुंवारी हो या विधवा/तलाकशुदा, उसके निकाह के लिए वली की रज़ामंदी भी ज़रूरी है। इसी मौक़े की ताईद हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) और आपके खुलफा के इरशादात से होती है। इसलिए महामहिम फरमाते हैं: "इस्लाम ने यह पसंद नहीं किया कि कोई औरत बग़ैर वली के, जो उसका बाप या भाई या और कोई अज़ीज़ हो, खुद-ब-खुद अपना निकाह किसी से कर ले।" (चश्मा-ए-मारिफत, रूहानी खज़ायन, भाग 23, पृष्ठ 289) मिरकातुल यक्रीन फी हयात नूरुद्दीन में हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल-अव्वल रदी अल्लाह अन्हू ने इस मसले के बारे में अपना एक ज़ाती वाक़िया बयान फ़रमाया है, जिसका खुलासा यह है कि एक दफा आपने कुछ उलेमा (मियां नज़ीर हुसैन देहलवी और शेख मुहम्मद हुसैन बटालवी) के फतवे को कबूल करके 'ला निकाहा इल्ला बिबली' (अभिभावक के बिना विवाह नहीं) की हदीस में कलाम (आपत्ति) का ख्याल करते हुए एक विधवा से उसके वली की रज़ामंदी के बग़ैर शादी का इरादा किया, तो अल्लाह तआला ने आपको दो मर्तबा ख्वाब में आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की कुछ मुतग़ायर (बदली हुई) हालत दिखाकर आपको इस ख्वाब की यह तफहीम समझाई कि इन मुफ्तियों के फतवों की तरफ तवज्जोह न करो। महामहिम फरमाते हैं: "तब मैंने उसी वक्त दिल में कहा कि अगर सारा जहान भी उसे ज़ईफ (कमज़ोर) कहेगा, तब भी मैं इस हदीस को सही समझूंगा।" (मिरकातुल यक्रीन फी हयात-ए-नूरुद्दीन, पृष्ठ 158-160) मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हू फरमाते हैं: "रसूल-ए-करीम (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की खिदमत में एक औरत निकाह कराने के लिए आई, तो आपने उसके लड़के को, जिसकी उम्र गालिबन दस या ग्यारह साल थी, वली बनाया। जिससे साबित होता है कि वली मर्द ही होते हैं। इस औरत का चूँकि और कोई मर्द वली नहीं था, इसलिए रसूल-ए-करीम (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) ने उस लड़के से दरयाफ्त करना ज़रूरी समझा।" (रोज़नामा अल-फज़ल कादियान, दारुल अमान नंबर 143, भाग 26, तिथि 25 जून 1938, पृष्ठ 4) जबकि जैसा कि मैंने अपने उस खुत्बे में भी वर्णन किया है, विधवा/तलाकशुदा औरत, कुंवारी लड़की की निस्वत अपने बारे में फैसला करने में अपने वली से ज़्यादा हक रखती है। इसका मतलब यही है कि विधवा/तलाकशुदा औरत अगर किसी जगह शादी करना चाहे, तो वली को उसमें बिना वजह रोक नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसकी मर्ज़ी का एहताराम करते हुए उसका उस जगह निकाह कर देना चाहिए।

3. एक फतवा ज़ेर नंबर 27.09.2021/20 के पृष्ठ 3 पर आपने अल-फज़ल 16 अगस्त 1948 का एक हवाला फिक्ह-ए-अहमदिय्या इबादात के हवाले से दिया है। एक तो यह हवाला गलत है। दूसरा अगर अस्ल माख़ज़ (मूल स्रोत) मयस्सर हो, तो हवाला उसी अस्ल माख़ज़ से ही देना चाहिए।

मैंने यह हवाला यहाँ तलाश करवाया है। आपके फतवे में दर्ज यह इक़तिबास (उद्धरण) मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हू के खुत्बा-ए-जुमा इरशाद फ़रमूदह 06 अगस्त 1948 का है, जो खुत्बा रोज़नामा अल-फज़ल रबवा तिथि 08 मार्च 1961 के पृष्ठ नंबर 2 से 4 पर शायद हुआ था।

फिक्ह-ए-अहमदिय्या में इस क्रिस्म की बहुत सी गलतियाँ हैं, जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। तदवीन-ए-फिक्ह कमेटी को इस तरफ तवज्जोह दिलाएं कि उसकी नज़र-ए-सानी (संशोधन) का काम जल्द मुकम्मल करें।

प्रश्न बिलाद-ए-अरब (अरब देशों) में किसी शख्स के नबूवत (पैगंबरी) और मुजद्दियत (धर्म सुधार) के दावे पर उस फेल के रद्द में एक अरबी अहमदी की तरफ से लिखे जाने वाले मज़मून और उस मज़मून पर रबवा से कुछ उलेमा की तरफ से मुहस्सिल (प्राप्त) होने वाले मौक़े के बारे में इंचारज़ साहिब अरबिक डेस्क यूके ने महामहिम से रहनुमाई चाही। महामहिम ने 06 नवंबर 2021 के अपने पत्र में इस सवाल के बारे में निम्नलिखित इरशादात फ़रमाए:

उत्तर : दुनिया की हिदायत और इस्लाह के लिए अल्लाह तआला की तरफ से किसी नबी या मुस्लेह (सुधारक) का मबअूस (भेजा जाना) होना उसकी एक ऐसी नेमत है, जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं। अल्लाह तआला ने दुनिया की हिदायत के लिए जब भी किसी नबी या मुस्लेह की ज़रूरत महसूस की, तो इंसानियत पर रहम करते हुए उसने किसी नबी या मुस्लेह को ज़रूर दुनिया की हिदायत के लिए मबअूस फ़रमाया। अल्लाह तआला की यह सिफत हमेशा से और हमेशा के लिए जारी है और किसी इंसान को हक नहीं है कि वह खुदा तआला की इस सुन्नत को मुअत्तल (रद्द) करार दे, क्योंकि कुरआन व सुन्नत में ऐसी कोई नस (पाठ) मौजूद नहीं। ताहम आइंदा युगों (भविष्य के समयों) में अल्लाह तआला की इस सुन्नत का इज़हार किस तरीक पर होगा, यह खुदा तआला ही बेहतर जानता है। जबकि कुरआन-ए-करीम, अहादीस नबविय्या (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) और अनबियाए साबिक़ा (पूर्व

EDITOR SHAIKH MUJAHID AHMAD Editor : +91-9915379255 e-mail : badarqadian@gmail.com www.akhbarbadr.in	REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553	MANAGER : SHAIKH MUJAHID AHMAD Mobile : +91-9915379255 e-mail:managerbadrqnd@gmail.com www.alislam.org/badr
	Weekly BADAR Qadian Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA POSTAL REG. No.GDP 45/ 2023-2025 Vol. 10 Thursday 09 October 2025 Issue No. 41	

पैगंबरो) के सहीफों में आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) के बाद हमें सिर्फ एक ही जरी 'अल्लाह फी हुललिल अंबिया' (अल्लाह पैगंबरो के वस्तों/स्वरूपों में है) की बशारत मिलती है।

फिर हमारे आका व मौला हज़रत अकदस मुहम्मद मुस्तफा (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) ने भी अपने बाद उम्मत मुहम्मदिया में दो दफा खिलाफत अला मिन्हाजे नबुव्वत (पैगंबरी की रीति पर स्थापित खिलाफत) के क्रयाम की बशारत दी है। पहली मर्तबा के क्रयाम के बाद आपने इस नेमत के उठाए जाने का वर्णन फ़रमाया है, लेकिन दूसरी मर्तबा इस नेमत के क्रयाम की खुशखबरी देने के बाद आपने खामोशी इस्तिवार फरमाई, जिससे इस नेमत के क्रयामत तक जारी रहने का इस्तिबात (तर्क) होता है।

(मुसन्नद अहमद बिन हंबल, भाग 6, पृष्ठ 285, मुसन्नद अन-नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हू)

आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) के गुलाम-ए-सादिक और उस ज़माने के हुक्म-ओ-अदल हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ने खुदा तआला की तरफ से मिलने वाली बशारतों के तहत जहाँ एक तरफ खुदा को खातमुल खुलफा (खुलफा का अंतिम) करार दिया और अपने बाद किसी और मसीह के आने का इन्कार फ़रमाया, वहीं दूसरी तरफ आपने अपने बाद हज़ारों मिस्ल-ए-मसीह (मसीह के समान) की आमद के इमकान (संभावना) का भी इरशाद फ़रमाया।

इसलिए कुरआन-ए-करीम की मुख्तलिफ आयात, अहादीस नबविय्या (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) और दूसरे मज़ाहिब की तारीख से इस्तिदलाल करते हुए आपने इंसानी नस्ल की उम्र सात हज़ार साल होने और उसके पाँचवें हज़ार साल में आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) के मबअूस होने का वर्णन करने के बाद फ़रमाया: "अब हम सातवें हज़ार के सर (शुरुआत) पर हैं। इसके बाद किसी दूसरे मसीह को क़दम रखने की जगह नहीं है, क्योंकि ज़माने सात ही हैं जो नेकी और बदी में तक्सीम किए गए हैं।" (लेकचर लाहौर, रूहानी खज़ायन, भाग 20, पृष्ठ 186) आपने मज़ीद फ़रमाया: "चूंकि यह आख़िरी हज़ार है, इसलिए ज़रूर था कि इमाम आख़िरुज़्ज़मान इसके सर पर पैदा हो और इसके बाद कोई इमाम नहीं और न कोई मसीह। मगर वह जो इसके लिए बतौर ज़िल्ल (परछाई) के हो। क्योंकि इस हज़ार में अब दुनिया की उम्र का खातमा है, जिस पर तमाम नबियों ने शहादत दी है और यह इमाम जो खुदा तआला की तरफ से मसीह मौऊद कहलाता है, वह मुजद्दिद-ए-सदी (सदी का सुधारक) भी है और मुजद्दिद-उल-फ़े आख़िर (अंतिम सहस्राब्दी का सुधारक) भी है।" (लेकचर सयालकोट, रूहानी खज़ायन, भाग 20, पृष्ठ 208)

महामहिम मुजद्दिद-उल-फ़े आख़िर भी हैं, जिसका एक मतलब यह भी है कि महामहिम (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की बशारतों के तहत आपके ज़रिए जारी होने वाली खिलाफत अला मिन्हाजे नबुव्वत में आने वाले आपके खुलफा, आपकी पैरवी और इत्तिबा की बरकत से अपने-अपने वक्त के मुजद्दिद भी होंगे, इसलिए आपकी पैरवी और इत्तिबा से बाहर अब किसी मुजद्दिद का आना भी महाल (असंभव) है। महामहिम अपने बाद आने वाले मिस्ल-ए-मसीह के आने के इमकान का इज़हार करते हुए फरमाते हैं: "हम यह भी ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं कि हमारे बाद कोई और भी मसीह का मिस्ल (समान) बनकर आवे, क्योंकि नबियों के मिस्ल हमेशा दुनिया में होते रहते हैं। बल्कि खुदाए तआला ने एक क़तई और यक़ीनी पेशगोई में मेरे पर ज़ाहिर कर रखा है कि मेरी ही ज़रियत (सन्तान) से एक शख्स पैदा होगा, जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबहत (समानता) होगी। वह आसमान से उतरेगा और ज़मीन वालों की राह सीधी कर देगा और वह असीरों (कैदियों) को रस्तगारी (मुक्ति) बख्शेगा और उनको जो शुबहात (संदेहों) की जंजीरों में मुक़य्यद (बंधे) हैं, रहाई देगा।" (इज़ाला-ए-औहाम, रूहानी खज़ायन, भाग 3, पृष्ठ 179-180) इस बारे में आपने मज़ीद फ़रमाया: "मैंने सिर्फ मिस्ल-ए-मसीह होने का दावा किया है और मेरा यह भी दावा नहीं कि सिर्फ मिस्ल होना मेरे पर ही खत्म हो गया है, बल्कि मेरे नज़दीक मुमकिन है कि आइंदा ज़मानों में मेरे जैसे और दस हज़ार भी मिस्ल-ए-मसीह आ जाएँ। हाँ, इस ज़माने के लिए मैं मिस्ल-ए-मसीह हूँ और दूसरे का इंतज़ार बे-सूद (बेकार) है और यह भी ज़ाहिर रहे कि यह कुछ मेरा ही ख्याल नहीं कि मिस्ल-ए-मसीह बहुत हो सकते हैं, बल्कि अहादीस नबविय्या का भी यही मंशा पाया जाता है।" (इज़ाला-ए-औहाम, रूहानी खज़ायन, भाग 3, पृष्ठ 197) एक और जगह इस मज़मून को बयान करते हुए आप फरमाते हैं: "इस आजिज़ (नम्र सेवक)

की तरफ से भी यह दावा नहीं है कि मसीहियत का मेरे वजूद पर ही खातमा है और आइंदा कोई मसीह नहीं आएगा, बल्कि मैं तो मानता हूँ और बार-बार कहता हूँ कि एक क्या, दस हज़ार से भी ज़्यादा मसीह आ सकता है।" (इज़ाला-ए-औहाम, रूहानी खज़ायन, भाग 3, पृष्ठ 251) फ़रमाया: "ईसा इब्र-ए-मरयम ने एक सौ बीस बरस उम्र पाई और फिर फौत होकर अपने खुदा को जा मिला और दूसरे आलम में पहुँचकर यहया नबी का हमनशीन (साथ बैठने वाला) हुआ, क्योंकि उसके वाकिए और यहया नबी के वाकिए को बाहम मुशाबहत थी। इसमें कुछ शक नहीं कि वह नेक इंसान था और नबी था, मगर उसे खुदा कहना कुफ़्र है। लाखों इंसान दुनिया में ऐसे गुज़र चुके हैं और आइंदा भी होंगे। खुदा किसी के मुहिदा (चुने हुए) करने में कभी नहीं थका और न थकेगा।" (तज़किरतुश शहादतैन, रूहानी खज़ायन, भाग 20, पृष्ठ 29)

अतः यह इस सिलसिले का वह आख़िरी हज़ार साल है, जिसमें खुदा तआला ने आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की भविष्यवाणियों के ऐन मुताबिक आपके रूहानी फरज़द (पुत्र) और गुलाम-ए-सादिक हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) को खातमुल खुलफा के तौर पर मबअूस फ़रमाया। आँहज़रत (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) की भविष्यवाणियों और हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के इरशादात से यही मुस्तनबत (प्राप्त) होता है कि अल्लाह तआला के फज़ल से चूंकि यह आख़िरी हज़ार साल हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) के ज़रिए क्रयाम होने वाली खिलाफत-ए-अहमदिय्या हक्का इस्लामिया का दौर है, इसलिए अगर किसी वक्त दुनिया की इस्लाह के लिए किसी मुस्लेह की ज़रूरत पड़ी, तो अल्लाह तआला हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) ही के मुत्तबेईन (अनुयायियों) में से किसी ऐसे शख्स को दुनिया की इस्लाह के लिए खड़ा करेगा, जो वक्त का खलीफ़ा होगा, लेकिन खलीफ़ा से बढ़कर आपका मिस्ल और मुस्लेह होने का मकाम भी उसे अता होगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद (अलैहिस्सलाम) को दी जाने वाली बशारतों के ऐन मुताबिक हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हू को इस मकाम पर फाएज़ फ़रमाया था। इसलिए मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हू इस मौऊद खिलाफत के मकाम को बयान करते हुए फरमाते हैं: "फिर सिर्फ खिलाफत का सवाल नहीं, बल्कि ऐसी खिलाफत का सवाल है जो मौऊद खिलाफत है। इल्हाम और वही से क्रयाम होने वाली खिलाफत का सवाल है। एक खिलाफत तो यह होती है कि खुदा तआला लोगों से खलीफ़ा मुंतखब (चुना) कराता है और फिर उसे क़बूल कर लेता है, मगर यह वैसी खिलाफत नहीं। अर्थात मैं इसलिए खलीफ़ा नहीं कि हज़रत खलीफ़ा अब्वल की वफात के दूसरे दिन जमाअत अहमदिया के लोगों ने जमा होकर मेरी खिलाफत पर इत्तिफाक किया, बल्कि इसलिए भी खलीफ़ा हूँ कि खलीफ़ा अब्वल की खिलाफत से भी पहले हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा तआला के इल्हाम से फ़रमाया था कि मैं खलीफ़ा हूँगा। अतः मैं खलीफ़ा नहीं, बल्कि मौऊद खलीफ़ा हूँ। मैं मामूर (आदेश प्राप्त) नहीं, मगर मेरी आवाज़ खुदा तआला की आवाज़ है कि खुदा तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसकी ख़बर दी थी। गोया इस खिलाफत का मकाम मामूरियत (आदेश प्राप्ति) और खिलाफत के दरमियान का मकाम है और यह मौक़ा ऐसा नहीं है कि जमाअत अहमदिया उसे राइगां (व्यर्थ) जाने दे और फिर खुदा तआला के सामने सुखरू हो जाए। जिस तरह यह बात दुरुस्त है कि नबी रोज़-रोज़ नहीं आते, उसी तरह यह भी दुरुस्त है कि मौऊद खलीफ़े भी रोज़-रोज़ नहीं आते।"

(रिपोर्ट मजलिस-ए-मशाविरत 1936, खुतबात-ए-शूरा, भाग 2, पृष्ठ 18)

★ ★ ★

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :
1800 3010 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

Web.www.alislam.org
www.ahmadiyyamuslimjamaat.in